

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)
उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)
उत्तर प्रदेश सरकार

http://cagindia.org/states/uttarpradesh/2002

विषय सूची

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	V
	विहंगावलोकन	VII
अध्याय–1	**सामान्य**	**1**
1.1	राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	3
1.3	संग्रह की लागत	4
1.4	व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन	5
1.5	संग्रह का विश्लेषण	7
1.6	राजस्व के बकाये	7
1.7	लेखापरीक्षा के परिणाम	8
1.8	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	9
1.9	लोक लेखा समिति द्वारा विचार-विमर्श हेतु 31 दिसम्बर 2002 तक लम्बित लेखापरीक्षा प्रस्तर/समीक्षा	11
अध्याय–2	**व्यापार कर विभाग**	**13**
2.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	13
2.2	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत करमुक्ति/ रियायत पर समीक्षा	14
2.3	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 30 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेशों का पुनः खोला जाना	21

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.4	कम करारोपण	23
2.5	क्रय कर का अनारोपण	28
2.6	अतिरिक्त कर का अनारोपण	29
2.7	केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	29
2.8	ब्याज का अनारोपण	30
2.9	घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग	31
2.10	टर्नओवर के छूट जाने पर कर का अनारोपण	31
2.11	गलत कर मुक्ति	32
2.12	अर्थदण्ड का अनारोपण	33
2.13	अर्थदण्ड का अनारोपण	34
2.14	ग्राहकों से अधिक वसूले गये कर के अनियमित समायोजन के कारण राजस्व की हानि	35
2.15	गणना की त्रुटि के कारण कम करारोपण	35
अध्याय–3	**राज्य आबकारी विभाग**	**37**
3.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	37
3.2	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	37
3.3	विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	38
अध्याय–4	**वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर**	**39**
4.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	39
4.2	अतिरिक्त कर का कम आरोपण	39

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
4.3	कर एवं अतिरिक्त कर का कम आरोपण	40
4.4	अतिरिक्त कर का अनिर्धारण	40
4.5	अतिरिक्त कर/ यात्रीकर का अनारोपण एवं वसूल न किया जाना	40
4.6	शासकीय अधिसूचना के विलम्ब से परिसंचरण के कारण राजस्व हानि	41
अध्याय–5	**स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस**	**43**
5.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	43
5.2	सम्पत्तियों के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का कम आरोपण	43
5.3	स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	44
अध्याय–6	**भू–राजस्व**	**47**
6.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	47
6.2	संग्रह प्रभार की वसूली न किया जाना	47
अध्याय–7	**अन्य कर प्राप्तियाँ**	**49**
(क)	**विद्युत शुल्क**	49
7.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	49
7.2	विद्युत शुल्क का अनारोपण	49
7.3	विद्युत शुल्क का न/कम लगाया जाना	50

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
(ख)	**मनोरंजन तथा बाजी कर**	50
7.4	लेखापरीक्षा के परिणाम	50
7.5	मनोरंजन कर का अवनिर्धारण	51
7.6	उपभोग न की गई रख–रखाव प्रभार की धनराशि की वसूली न होना	51
अध्याय–8	**वन प्राप्तियाँ वन विभाग**	53
8.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	53
8.2	रायल्टी की वसूली न किया जाना	53
8.3	टिम्बर के वास्तविक उत्पाद पर रायल्टी न लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि	54
अध्याय–9	**अन्य विभागीय प्राप्तियाँ**	55
(क)	**लोक निर्माण विभाग**	
9.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	55
9.2	अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन न किए जाने से राजस्व क्षति	55
9.3	लाइसेन्स फीस की कम वसूली	56
(ख)	**सिंचाई विभाग**	
9.4	लेखापरीक्षा के परिणाम	56
9.5	वृहत् सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियों पर समीक्षा	57
(ग)	**वित्त विभाग**	
9.6	शासकीय ऋणों पर ब्याज प्राप्ति पर समीक्षा	66

प्राक्कथन

31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में प्राप्तियों के लेखापरीक्षा परिणाम, व्यापार कर, राज्य आबकारी, भू–राजस्व, मोटर वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, मनोरंजन कर एवं बाजीकर, राज्य के अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों को समाविष्ट करते हुए हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से हैं जिन्हें वर्ष 2001–2002 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया, किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 31 प्रस्तर एवं 3 समीक्षाएं सम्मिलित हैं जिसमें कर, अभिकर, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि के अनारोपण/कम आरोपण के 987.71 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित हैं। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैं:

1. सामान्य

- वर्ष 2001–2002 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व, दोनों कर (10388.82 करोड़ रूपये) तथा करेतर (1787.07 करोड़ रूपये) विगत वर्ष के दौरान 12924.65 करोड़ रूपये के विपरीत 12175.89 करोड़ रूपये रहा। कर राजस्व में व्यापार कर (5052.40 करोड़ रूपये) तथा राज्य आबकारी (1961.38 करोड़ रूपये) के अन्तर्गत प्राप्तियाँ ही प्रमुख अंश (67.5 प्रतिशत) रही। करेतर प्राप्तियों के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियाँ, ब्याज प्राप्तियाँ, (543.49 करोड़ रूपये) अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग, (190.19 करोड़ रूपये) वानिकी एवं वन्य जीवन (68.31 करोड़ रूपये) थी।

- वर्ष 2001–2002 के दौरान कर राजस्व तथा करेतर राजस्व में विगत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में क्रमशः 5.38 प्रतिशत एवं 8.10 प्रतिशत की घटत रही।

(प्रस्तर 1.1)

- वर्ष 2001–2002 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व, विद्युत शुल्क, मनोरंजन एवं बाजीकर, वन प्राप्तियों तथा अन्य विभागीय प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में 1298.13 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण, कम आरोपण, राजस्व हानि आदि के 2621 मामलों का पता चला। वर्ष 2001–2002 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 50.95 करोड़ रूपये की निहित धनराशि वाले अवनिर्धारण एवं कम आरोपण आदि के 1026 मामले स्वीकार किये जिसमें से सन्निहित 43.03 लाख रूपये के 109 मामले वर्ष 2001–2002 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किये गये थे।

(प्रस्तर 1.7)

- 5196.31 करोड़ रूपये की सन्निहित धनराशि के 9323 निरीक्षण प्रतिवेदन 31 दिसम्बर 2001 तक निर्गत जिनमें 17168 लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे, जून 2002 तक लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.8)

2. व्यापार कर

- 'उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत छूट/कर मुक्ति पर समीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयीं:–

- 6 मण्डलों की 8 इकाइयों में 20.08 करोड़ रूपये की गलत कर मुक्ति दी गई

(प्रस्तर 2.2.5)

- 2 मण्डलों की 3 इकाइयों में स्वीकृत छूट से 8.34 करोड़ रूपये की अधिक कर मुक्ति दी गई।

(प्रस्तर 2.2.6)

- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध वस्तुओं की बिक्री के लिए प्रभावी दर के स्थान पर रियायती दर से गलत समायोजन किए जाने के परिणामस्वरूप 3.02 करोड़ रूपये का कम समायोजन हुआ।

(प्रस्तर 2.2.7)

- वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर पूर्वगामी प्रभाव से कर मुक्ति प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप 96.45 लाख रूपये राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 2.2.8)

- खरीद अथवा बिक्री पर अनियमित कर मुक्ति दिये जाने के परिणामस्वरूप 2.11 करोड़ रूपये कर का अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.2.9)

- अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं में कमी के कारण व्यापारियों को 115.81 करोड़ रूपये का अदेय वित्तीय लाभ दिया गया।

(प्रस्तर 2.2.10)

- लेखापरीक्षा में पाई गईं अन्य सम्मिलित अनियमितताएँ:

- 7 व्यापारियों के मामलों में धारा 30 के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय न लिये जाने के परिणाम स्वरूप 45.29 करोड़ रूपये का राजस्व अवरुद्ध रहा।

(प्रस्तर 2.3 (क))

- धारा 30 के अन्तर्गत मामलों को अनियमित रूप से पुनः खोले जाने के परिणाम स्वरूप 53.72 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई।

(प्रस्तर 2.3 (ख))

- 4 व्यापार कर कार्यालयों में 4 व्यापारियों द्वारा अधिसूचित माल के निर्माण में प्रयोग हेतु बिना कर का भुगतान किये रियायती दर पर कच्चा माल खरीदा गया। परन्तु कच्चे माल का प्रयोग उसमें नहीं किया गया जिसके लिये उसे खरीदा गया था और व्यापारियों द्वारा उसका अन्यथा निस्तारण कर दिया गया किन्तु 5.12 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.12 (क))

3. राज्य आबकारी

- वर्ष 1998–99 से 2001–2002 के दौरान 13 आसवनियों में निर्धारित मानक के विरुद्ध उत्पादन में कमी के कारण 17.12 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की क्षति हुई।

(प्रस्तर 3.2)

- आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के अनारोपण से शासन को 15.98 लाख रूपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 3.3)

4. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

- नगरपालिका निगम सीमा के बाहर चालित महानगरी बसों पर 1.74 करोड़ रूपये अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.2)

5. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

- वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 के दौरान 28 जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा संविदा के सम्यक निर्वहन हेतु अनुबन्ध निष्पादित कराये गए और 171.50 करोड़ रूपये जमानत जमा कराई गई जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित न करने के फलस्वरूप 21.14 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.3)

6. वन प्राप्तियाँ

- तेंदू पत्तों पर रायल्टी के निर्धारण में विलम्ब से न केवल अधिनियम की भावना का ह्रास हुआ वरन् शासन को 76.84 करोड़ रूपये से वंचित रहना पड़ा।

(प्रस्तर 8.2)

7. सिंचाई विभाग

'बृहत् सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियाँ' पर समीक्षा में निम्न् तथ्य उद्घाटित हुए:

- किसानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों से जलमूल्य/रायल्टी की 242.08 करोड़ रूपये धनराशि की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 9.5.7)

- वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु आपूर्तित जल पर 1.99 करोड़ रूपये का जलमूल्य/रायल्टी का अनारोपण/अवनिर्धारण हुआ।

(प्रस्तर 9.5.8)

- वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु आपूर्तित जल के रिसाव/बेकार जाने के परिणामस्वरूप 11.72 करोड़ रूपये राजस्व की क्षति हुयी।

(प्रस्तर 9.5.9)

8. वित्त विभाग

'शासकीय ऋणों पर ब्याज प्राप्तियाँ' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये:–

- विभागाध्यक्षों द्वारा समुचित अनुश्रवण में कमी के कारण शासन द्वारा 678.99 करोड़ रूपये मूलधन एवं 1996–97 से 2000–2001 की अवधि में अर्जित 545.73 करोड़ रूपये ब्याज की मांग सृजित नहीं की जा सकी।

(प्रस्तर 9.6.6)

- त्रुटिपूर्ण स्वीकृति आदेश निर्गत करने के कारण 26.63 करोड़ रूपये ब्याज की क्षति हुयी।

(प्रस्तर 9.6.7)

- ब्याज पर 12.72 करोड़ रूपये की अनियमित छूट स्वीकृत की गयी।

(प्रस्तर 9.6.8)

- ऋण की धनराशि को रोके रखने एवं शासन को अप्रयुक्त वापस कर दिये जाने के परिणामस्वरूप 2.52 करोड़ रूपये ब्याज की क्षति हुयी।

(प्रस्तर 9.6.9)

- गणना में त्रुटि के कारण 41.19 करोड़ रूपये ब्याज का कम भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 9.6.10)

- ऋणों के अंशपूंजी में परिवर्तन के लिए अंशप्रमाण–पत्रों को जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 87.78 करोड़ रूपये ब्याज की हानि हुयी।

(प्रस्तर 9.6.11)

अध्याय–1 : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001–2002 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत दो वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ें नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

	1999-2000	2000-2001	2001-2002
I. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व			
(क) कर राजस्व	9400.91	10979.97	10388.82
(ख) करेतर राजस्व	2011.74	1944.65	1787.07
योग	**11412.65**	**12924.62**	**12175.89**
II. भारत सरकार से प्राप्तियाँ			
(क) विभाज्य संघीय अंश मदों में राज्य का भाग	7478.90	9045.47	10130.49♠
(ख) सहायक अनुदान	2603.57	2773.18	3291.53
योग	**10,082.47**	**11818.65**	**13422.02**
III. राज्य की कुल प्राप्तियाँ **(I+II)**	21495.12	24743.27	25597.91
IV. से III. की प्रतिशतता	**53**	**52**	**48**

(i) वर्ष 2001–2002 के लिये कर राजस्व का विवरण साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के आँकड़ें अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2000–2001 के सन्दर्भ में 2001–2002 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2000–2001 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1 व्यापार कर	3703.59	5436.52	5052.40	(-)384.12	(-)7.07
2 राज्य आबकारी	2126.33	2238.54	1961.38	(-)277.16	(-)12.38
3 स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1177.57	1269.75	1429.29	(+)159.54	(+)12.56

♠ विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2001–2002 के वित्त लेखों में 'लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11 देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में लेखा शीर्षक क–कर राजस्व के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 0020–निगम कर 0021–निगम कर के अलावा आय कर, 0032–धन पर कर, 0037 सीमा शुल्क, 0038–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 0044–सेवा कर को समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़ें को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

1	2	3	4	5	6
4 मोटर स्प्रिट और स्मेहकों की विक्री पर कर	1359.31	586.39	1105.70	(+)519.31	(+)88.56
5 माल एवं यात्रियों पर कर	100.26	85.81	76.65	(-)9.16	(-)10.67
6 वाहनों पर कर	512.10	543.08	503.04	(-)40.04	(-)7.37
7 गन्नें के क्रय पर कर	36.35	95.45	5.00	(-)90.45	(-)94.76
8 विद्युत पर कर एवं शुल्क	126.41	136.30	9.22	(-)127.08	(-)93.24
9 भू–राजस्व	116.09	69.85	72.93	(+)3.08	(+)4.41
10 आय और व्यय पर अन्य कर	0.56	0.00	17.20	(+)17.20	(+)100
11 कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर	1.16	9.22	0.00	(-)9.22	(-)100
12 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	135.89	504.58	152.34	(-)352.24	(-)69.81
13 अन्य (होटल प्राप्तियाँ एवं निगमित कर आदि)	5.29	4.49	3.67	(-)0.82	(-)18.26
योग	9400.91	10979.97	10388-82	(-)591.15	(-)5.38

भिन्नता जहां पर्याप्त थी, के कारण यद्यपि राज्य सरकार से मंगाया गया था (अगस्त 2003), प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2003)।

(ii) वर्ष 2001–2002 के लिये करेतर राजस्व के विवरण पूर्ववर्ती दो वर्षों के आँकड़ों के साथ निम्नांकित सारिणी में दर्शायें गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2000–2001 के सन्दर्भ में 2001–2002 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2000–2001 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1. विविध सामान्य सेवाएँ	126.80	55.48	39-44	(-)16-04	(-)28-91
2. व्याज प्राप्तियाँ	476.68	525.17	543.49	(+)18-32	(+)3-49
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	160.52	76.86	68.31	(-)8-55	(-)11-12
4. बृहत् एवं मध्यम सिंचाई	40.16	282.13	115.76	(-)166-37	(-)58-97
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	137.63	177.24	137.66	(-)39-58	(-)22-33
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	103.70	61.51	131.47	(+)69-96	(+)113-74
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	180.17	196.44	190.19	(-)6-25	(-)3-18
8. पुलिस	53.17	85.29	67.38	(-)17-91	(-)21-00

राजस्व शीर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2000–2001 के सन्दर्भ में 2001–2002 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2000–2001 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
9. क्रॉप हस्बेन्ड्री	16.51	58.36	75.77	(+)17-41	(+)29-83
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	26.37	23.53	36-33	(+)12-80	(+)54-40
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	34.97	31.74	31-14	(-)0-60	(-)1-89
12. लघु सिंचाई	36.61	18.96	17-73	(-)1-23	(-)6-49
13. सड़क एवं सेतु	24.30	29.93	16-27	(-)13-66	(-)45-64
14. लोक निर्माण	26.77	26.94	14-66	(-)12-28	(-)45-58
15. सहकारिता	17.76	6.54	5-23	(-)1-31	(-)20-03
16. अन्य	549.62	288.53	296-24	(+)7-71	(+)2-67
योग	**2011.74**	**1944.65**	**1787-07**	**(-)157-58**	**(-)8-10**

भिन्नता जहां पर्याप्त थी, के कारण यद्यपि राज्य सरकार से मंगाया गया था (अगस्त 2003), प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2003)।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

वर्ष 2001–2002 के दौरान कर एवं करेतर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य मुख्य शीर्ष में भिन्नता निम्नांकित सारिणी में दी गयी है :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1. व्यापार कर	5571-32	5052-40	(-)518.92	(-)9.31
2. राज्य आबकारी	2460.16	1961.38	(-)498.78	(-)20.27
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1750.50	1429.29	(-)321.21	(-)18.35
4. मोटर स्प्रिट और स्मेहकों की विकी पर कर	1590.38	1105.70	(-)484.68	(-)30.48
5. माल एवं यात्रियों पर कर	564.10	76.65	(-)487.45	(-)86.41
6. वाहनों पर कर	381.00	503.04	(+)122.04	(+)32.03
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एव शुल्क	151.74	152.34	(+)0.60	(+)0.40

(करोड़ रुपये में)

1	2	3	4	5
8. गन्ने के कय पर कर	7.01	5.00	(-)2.01	(-)28.67
9. विद्युत पर कर एवं शुल्क	159.08	9.22	(-)149.86	(-)94.20
10. भू-राजस्व	90.60	72.93	(-)17.67	(-)19.50
(ख) करेतर राजस्व				
1. विविध सामान्य सेवाएँ	81.10	39.44	(-)41.66	(-)51.37
2. ब्याज प्राप्तियाँ	431.57	543.49	(+)111.92	(+)25.93
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	71.06	68.31	(-)2.75	(-)3.87
4. बृहत् एवं मध्यम सिंचाई	196.50	115.76	(-)80.74	(-)41.09
5. शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	213.96	137.66	(-)76.30	(-)35.66
6. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	240.00	190.19	(-)49.81	(-)20.75

भिन्नता जहां पर्याप्त थी, के कारण यद्यपि राज्य सरकार से मंगाया गया था (अगस्त 2003), प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2003)।

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह पर हुए व्यय के प्रतिशत के साथ ही साथ वर्ष 2000–2001 के दौरान सकल संग्रह पर हुए व्यय के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2000–2001 के लिए अखिल भारतीय औसत
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
व्यापार कर	1999-2000	3703.59	133.05	3.6	1.31
	2000-2001	6059.47	135.62	2.2	
	2001-2002	6158.55	139.99	2.3	
वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	1999-2000	612.36	0.18	0.03	3.48
	2000-2001	641.00	10.57	1.6	
	2001-2002	644.10	11.27	1.7	

1	2	3	4	5	6
राज्य आबकारी	1999-2000	2126.33	24.16	1.1	3.10
	2000-2001	2237.75	28.09	1.3	
	2001-2002	1963.89	11.27	0.6	
स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	1999-2000	1177.57	20.80	1.8	4.39
	2000-2001	1268.86	25.56	2.01	
	2001-2002	1473.88	19.82	1.3	

1.4 व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन

(क) कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 1997–98 से 2001–2002 तक के लिये वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु नियत मामले, वर्ष में निस्तारित किये गये मामलों तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया था, नीचे दिया गया हैं :

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु नियत मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	कालम 5 की कालम 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1997-98	669353	451315	1120668	730551	390117	65.19
1998-99	442379	466899	909278	489535	419743	53.84
1999-2000	457508	489838	947346	489357	457989	51.66
2000-2001	457989	461697	919686	490853	428833	53.37
2001-2002	428833	524561	953394	485771	467623	50.95

यह देखा गया कि वर्ष 1997–98 से 1998–99 एवं 1999–2000 के आदि शेष व अनुवर्ती वर्षो के अन्त शेष में भिन्नता है। विभाग ने बताया कि यह भिन्नता अन्य विभागों से वर्ष के दौरान प्राप्त सूचनाओं एवं त्रुटियों के सुधार के कारण है। विभाग को अभिलेखों के रख–रखाव की प्रणाली को ठीक करने की आवश्यकता हैं जिसमें कि आंकड़ों की संगति एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले

वर्ष 1997–98 से 2001–2002 के दौरान निष्पादन हेतु नियत अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों तथा व्यापार कर विभाग द्वारा निस्तारित मामलों के साथ ही साथ वर्ष 2001–2002 के अन्त में अवशेष

अपील एवं पुनरीक्षण मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है निम्न सारिणी में प्रदर्शित है :

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपीलों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	वर्ष के अन्त में अवशेष	सम्पूर्ण मामलों की संख्या से निस्तारित मामलों की प्रतिशतता
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
अपील के मामले						
1997-1998	66132	48794	114926	54932	59994	48
1998-1999	59994	61931	121925	61339	60586	50
1999-2000	60586	55194	115780	64168	51612	55
2000-2001	51612	46876	98488	58905	39583	60
2001-2002	39583	44626	84209	56839	27370	67
पुनरीक्षण के मामले						
1997-98	57112	9544	66656	16609	50047	25
1998-99	50047	14225	64,272	14858	49414	23
1999-2000	▽47689	15395	63084	10639	52445	17
2000-2001	52445	16170	68615	10792	57823	16
2001-2002	57823	14872	72695	10295	62400	14

(ii) 31 मार्च, 2002 को लम्बित अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	31 मार्च 2002 को लम्बित	
	अपील के मामले	*पुनरीक्षण के मामले*
1999 तक	104	उपलब्ध नहीं
2000	304	उपलब्ध नहीं
2001	16154	उपलब्ध नहीं
2002	10808	उपलब्ध नहीं
योग	***27370***	

▽ 1725 मामलों की भिन्नता उत्तरांचल राज्य बनने के कारण हुई।

1.5 संग्रह का विश्लेषण

वर्ष 2001–2002 के दौरान व्यापार कर के सकल संग्रह का विवरण (पूर्व निर्धारण के स्तर पर यथा नियमित निर्धारण के पश्चात) तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ों के साथ जैसा कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, सारिणी में नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पूर्व निर्धारण के स्तर पर संग्रहीत धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात् संग्रहीत धनराशि	वापसी की धनराशि	कर की शुद्ध संग्रह	कालम 2 की 5 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1999-2000	3732.35	107.33	55.04	3784.64	98
2000-2001	5934.99	124.48	37.44	6022.03	98
2001-2002	6003.61	134.24	23.70	6114.15	97

1.6 राजस्व के बकाये

प्रमुख राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2002 को राजस्व के बकाये की स्थिति, जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया था निम्न प्रकार थी:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया		टिप्पणी
		योग	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाए	
1	2	3	4	5
1	व्यापार कर	6509.55	उपलब्ध नहीं है	6509.55 करोड़ रुपये में से 894.08 करोड़ रुपये के लिए मांग भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 112.90 करोड़ रुपये एवं 39.33 करोड़ रुपये की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 228.70 करोड़ रुपये की वसूली त्रुटि सुधार/ पुनः विचार प्रार्थना पत्रों के कारण रुकी हुई थी। 2332.40 करोड़ रुपयों की मांग को अपलिखित होने की सम्भावना थी, 2902.14 करोड़ रुपये के अवशेष के बकाये के सम्बन्ध में की गई सुनिश्चित कार्यवाही का विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
2	मनोरंजन कर	6.53	2.93	6.53 करोड़ रूपये में से 1.79 करोड़ रुपये की मांग को भू-राजस्व के बकाए की भाँति वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 4.01 करोड़ रुपये एवं 0.40 करोड़ रूपये की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 0.33 करोड़ रूपये के अवशेष हेतु की गई कार्यवाही से विभाग ने अवगत नहीं कराया।

1	2	3	4	5
3.	राज्य आबकारी	34.75	शून्य	34.75 करोड़ रूपये में से 10.41 करोड़ रूपये की मांग को भू-राजस्व के बकाए की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 22.11 करोड़ रूपये न्यायालय द्वारा स्थगित था तथा 2.23 करोड़ रूपये के बकायेदार दिवालिया घोषित थे।
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	38.00	2.73	38.00 करोड़ रूपये में से 8.41 करोड़ रूपये की मांग भू-राजस्व के बकाये की मांग की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गई थी। 0.65 करोड़ रूपये एवं 0.44 करोड़ रूपये की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 28.50 करोड़ रूपये के अवशेष हेतु की गई विशिष्ट कार्यवाही का विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
5.	स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	204.93	उपलब्ध नहीं है	204.93 करोड़ रुपये में से 19.82 करोड़ रुपये की मांग की भू-राजस्व के बकाये की मांग की तरह वसूली हेतु प्रमाणित हो चुकी थी और 108.94 करोड़ रूपये की वसूली न्यायालयों तथा अपील प्राधिकरण द्वारा स्थगित की गई थी। 76.17 करोड़ रूपये के बकाये की धनराशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
6.	वानिकी एवं वन्य जीवन	11-50	उपलब्ध नहीं है	11.50 करोड़ रुपये में से 7.95 करोड़ रुपये की मांग को भू-राजस्व की बकाए की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 0.34 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 3.21 करोड़ रुपये के अवशेष बकाए के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्यवाही का विवरण विभाग द्वारा सूचित नही किया था।

1.7 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू-राजस्व, विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर, मनोरंजन कर, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं वन प्राप्तियाँ आदि के अभिलेखों की नमूना जाँच से 2621 मामलों में 1298.13 करोड़ रूपये के कर के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व क्षति के मामले प्रकाश में आये। वर्ष 2001–2002 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 1026 मामलों में 50.95 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किये जिसमें से 109 मामलों में 43.03 लाख रूपये 2001–2002 की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे।

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण, शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित 31 प्रस्तर तथा 3 समीक्षाएं हैं जिसमें 987.71 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है। विभाग/सरकार ने 1026 मामलों में 50.95 करोड़ रूपये की सन्निहित धनराशि को स्वीकार कर लिया है जिसमें से 17.27 करोड़ रूपये की वसूली मार्च 2002 तक कर ली गयी थी। अवशेष मामलों मे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (नवम्बर 2002)।

1.8 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, करों, अभिकरों, शुल्क आदि के कम आरोपण पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों के साथ ही साथ लेखा परीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पाई गई कमियों, जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है। अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 2001 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निस्तारण 30 जून 2002 तक विभागों द्वारा लम्बित था, साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ें नीचे दिये गये हैं:

क्र. सं.		2000	2001	2002
1.	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	7300	8504	9323
2.	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	14709	15867	17168
3.	निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	1828.98	5080.99	5196.31

जून 2002 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभागवार विभाजन नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित है
1	2	3	4	5	6
1	वानिकी एवं वन्य जीवन	940	1997	1413.24	1990-91 से 2001-2002
2	व्यापार कर	2735	5300	3069.53	1984-85 से 2001-2002
3	सिंचाई	313	711	355.31	1984-85 से 2001-2002

1	2	3	4	5	6
4	राज्य आबकारी	591	852	147.45	1984-85 से 2001-2002
5	भू-राजस्व	979	1453	28.21	1987-88 से 2001-2002
6	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	761	2340	45.31	1984-85 से 2001-2002
7	लोक निर्माण	316	661	22.57	1984-85 से 2001-2002
8	गन्ने के कय पर कर	77	91	15.78	1985-86 से 2001-2002
9	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1776	2564	63.75	1983-84 से 2001-2002
अन्य विभाग					
क	कृषि	169	311	1.50	1984-85 से 2001-2002
ख	विद्युत शुल्क	364	413	21.58	1988-89 से 2001-2002
ग	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	82	157	0.70	1984-85 से 2001-2002
घ	सहकारिता	88	109	5.79	1984-85 से 2000-2001
ड.	मनोरंजन कर	132	209	5.59	1986-87 से 2001-2002
योग		**9,323**	**17,168**	**5196.31**	

इसे शासन के संज्ञान में दिसम्बर 2002 में लाया गया, अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा आपतियों के निराकरण हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2003)।

1.9 लोक लेखा समिति द्वारा विचार-विमर्श हेतु 31 दिसम्बर 2002 तक लम्बित लेखापरीक्षा प्रस्तर/समीक्षा :

लोक लेखा समिति के विचार-विमर्श हेतु प्रतीक्षित लेखापरीक्षा प्रस्तरों/समीक्षाओं का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	व्यापार कर	राज्य आबकारी	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	भू-राजस्व	अन्य कर प्राप्तियाँ	वन प्राप्तियाँ	अन्य विभागीय प्राप्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1984-85	10	शून्य	09	09	02	शून्य	11	09
1985-86	11	07	16	04	05	07	11	14
1986-87	12	04	23	04	03	05	11	14
1987-88	14	10	17	05	05	06	08	शून्य
1988-89	19	11	09	04	04	05	07	16
1989-90	12	10	09	02	06	04	11	20
1990-91	17	06	07	02	04	05	11	16
1991-92	13	06	05	04	02	05	06	11
1992-93	13	09	11	03	02	05	09	14
1993-94	15	07	12	03	02	04	06	13
1994-95	09	07	12	03	02	शून्य	08	शून्य
1995-96	05	03	05	01	शून्य	05	08	03
1996-97	13	06	08	03	01	04	01	05
1997-98	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	04	शून्य	04
1998-99	05	शून्य	शून्य	05	शून्य	04	शून्य	शून्य
1999-2000	14	01	08	05	05	04	05	शून्य
योग	**182**	**87**	**151**	**57**	**43**	**67**	**113**	**139**
								(सकल योग 839)

अध्याय–2 : व्यापार कर विभाग

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के दौरान व्यापार कर कार्यालयों के कर निर्धारण वादों तथा अन्य अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जाँच में 157.68 करोड़ रूपये के कम करारोपण, अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण या कम आरोपण एवं कर की अनियमित छूट आदि के 1299 मामलों का पता चला जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1-	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण या कम आरोपण	626	12.89
2-	अनियमित छूट	180	8.55
3-	अतिरिक्त कर का अनारोपण	50	1.40
4-	कर की गलत दर	191	4.61
5-	माल का गलत वर्गीकरण	38	0.30
6-	टर्नओवर पर कर लगने से छूट जाना	53	0.34
7-	केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमिततायें	27	0.84
8-	कर का अवनिर्धारण	20	0.10
9-	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत करमुक्ति/ रियायतें	1	35.30
10-	'उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–30 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेशों के पुनः खोले जाने पर एक विस्तृत आलेख प्रस्तर	1	45.83
11-	अन्य अनियमितताएं	112	47.52
	योग	**1299**	**157.68**

वर्ष 2001–2002 के दौरान विभाग ने 916 मामलों में 47.88 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण इत्यादि को स्वीकार किया है, जिसमें 43.03 लाख रूपये के 109 मामले वर्ष 2001–2002 के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। इनमें से 45 मामलों में निहित धनराशि 5.80 लाख रूपये की वसूली मार्च 2002 तक हो चुकी थी।

'उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत करमुक्ति/ रियायत' पर एक समीक्षा और

कुछ निदर्शी मामले जिनमें 100.37 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है, निम्नलिखित प्रस्तरों में वर्णित है:

2.2 'उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत करमुक्ति/ रियायत' पर समीक्षा

2.2.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम) के अन्तर्गत राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा किसी ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर जो ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों द्वारा कुछ शर्तों के साथ अथवा बिना किसी शर्त के, निर्धारित विधि के अनुसार कर के आरोपण से छूट प्रदान कर सकती है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4–क के अन्तर्गत किसी माल के उत्पादन को बढ़ाने या उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने नई स्थापित औद्योगिक इकाईयों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए कर प्रोत्साहन योजनाएं प्रारम्भ किया। इन योजनाओं में कर की दर से कमी अथवा करमुक्ति, स्वीकृत कर के भुगतान हेतु आस्थगन, कच्चे माल की खरीद पर क्रय/विक्रय कर के आरोपण से छूट एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र धारक निर्माताओं को करमुक्त ऋण की स्वीकृति सहित, कराधान से छूट एवं कई प्रोत्साहन सम्मिलित हैं। जिला औद्योगिक केन्द्र के महा प्रबन्धक अपने नियंत्रण वाले जिलों में पात्रता प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु उत्तरदायी होते हैं जबकि औद्योगिक विकास प्राधिकृत क्षेत्र में स्थित इकाइयों के संदर्भ में यह दायित्व क्षेत्र विकास अधिकारी (एरिया डेवलपमेण्ट ऑफीसर) का होता है।

अधिनियम की धारा 4–ख के अन्तर्गत भी निर्माताओं को कुछ शर्तों के पूरा करने पर विज्ञापित वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग के लिए कच्चा माल, प्रसंस्करण का सामान तथा पैंकिंग करने के सामान आदि की खरीद पर, कर में विशेष छूट (करमुक्ति अथवा रियायती दर से कर) का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में निर्धारित घोषणाओं तथा शर्तों के विवरणों के अनुपालन न होने पर, करारोपण तथा अर्थदण्ड के आरोपण आदि का भी प्रावधान है।

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

व्यापार कर विभाग के सम्पूर्ण अधिक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन का अधिकार कमिश्नर, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश में निहित है जिसकी सहायता एडीशनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, असिस्टेन्ट कमिश्नरों तथा व्यापार कर अधिकारियों द्वारा की जाती है। राज्य को 14 क्षेत्रों♣ तथा 36 सम्भागों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रमुख क्रमशः एडीशनल कमिश्नर तथा डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) होते हैं। सम्भागों को पुनः मण्डलों तथा खण्डों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रभारी अधिकारी क्रमशः असिस्टेण्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) तथा व्यापार कर अधिकारी होते हैं।

♣ उत्तरांचल राज्य बनने के बाद

2.2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

नये उद्योगों को छूट एवं प्रोत्साहन सम्बन्धी निर्देशों तथा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुपालन तथा करापवंचन को रोकने हेतु समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों को सुनिश्चित करने हेतु सितम्बर 2001 से अप्रैल 2002 तक की अवधि में एक समीक्षा की गयी। इस कार्य हेतु 36 सम्भागों में से 15 सम्भागों के असिस्टेण्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) एवं व्यापार कर अधिकारियों के कार्यालयों के कर निर्धारण सम्बन्धी वर्ष 1996-97 से 2000-2001 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी।

2.2.4 मुख्य अंश

(1) 6 मंडलों की 8 इकाइयों में 20.08 करोड़ रूपये की गलत कर मुक्ति दी गयी।

(प्रस्तर 2.2.5)

(2) 2 मंडलों की 3 इकाइयों में स्वीकृत छूट से 8.34 करोड़ रूपये की अधिक, कर मुक्ति दी गयी।

(प्रस्तर 2.2.6)

(3) 3 मंडलों की 5 इकाइयों में कच्चे माल की खरीद पर 3.02 करोड़ रुपये की गलत रियायत दी गयी।

(प्रस्तर 2.2.7)

(4) माल के क्रय या विक्रय पर कर में पूर्वगामी प्रभाव से छूट प्रदान करने के परिणामस्वरूप 96.45 लाख रूपये के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

(प्रस्तर 2.2.8)

(5) क्रय या विक्रय पर अनियमित कर मुक्ति से 2.11 करोड़ रूपये का कर अनारोपित रहा।

(प्रस्तर 2.2.9)

(6) अधिनियम/नियमावली/विज्ञप्तियों में कमी के कारण व्यापारियों ने 115.81 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ उठाया।

(प्रस्तर 2.2.10)

2.2.5 कर-मुक्ति की गलत स्वीकृति

अधिनियम की धारा 4-क के अन्तर्गत नई इकाइयों को, यदि वे उद्योग विभाग द्वारा जारी पात्रता

प्रमाण–पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो कर मुक्ति/कर की दर में कमी की सुविधा उपलब्ध होती है। पात्रता प्रमाण–पत्र में, निर्माण की जाने वाली वस्तु का नाम, स्थिर पूंजी में विनियोजन, स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता, कर में छूट की धनराशि तथा अवधि जिसमें इकाई द्वारा यह सुविधा ली जा सकती है, का उल्लेख होता है।

(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–क क क क के अन्तर्गत कच्ची खाल एवं चमड़े, परिष्कृत खाल एवं चमड़े को परिष्कृत या शोधन करने के पश्चात् इसकी बिक्री उसी रूप और दशा में समझी जायेगी क्योंकि इसमें कोई निर्माण की प्रक्रिया निहित नहीं है।

दो व्यापार कर मण्डलों (कानपुर तथा आगरा) में यह देखा गया कि तीन इकाइयों को सितम्बर 1990 तथा सितम्बर 1997 के मध्य विभिन्न अवधि के लिये परिष्कृत (शोधित) चमड़े के निर्माण तथा बिक्री के लिये कर मुक्ति का पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया। जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत कच्ची खालें एवं चमड़ा शोधित चमड़े से भिन्न नहीं है, अतः इसमें कोई निर्माण की प्रक्रिया निहित नहीं थी। अनियमित रूप से निर्गत पात्रता प्रमाण–पत्र के परिणामस्वरूप इन इकाइयों को 9 करोड़ रूपये की गलत छूट प्रदान की गयी।

(2) छूट की अर्हता के लिए 31 मार्च 1990 के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित एक नई इकाई द्वारा किसी वर्तमान कारखानें में या उससे आसन्न स्थल पर उसी माल का उत्पादन नहीं किया जा सकता जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक, निदेशक के रूप में, नियन्त्री कम्पनी या सहायक कम्पनी का हित रखता हो, यदि ऐसा वर्तमान कारखाना बन्द हो जाय।

व्यापार कर मण्डल, कानपुर में एम.एस. इंगट का उत्पादन करने वाली एक इकाई को 19 जून 1995 से 18 जून 2001 तक के लिये 2.31 करोड़ रूपये की कर मुक्ति का पात्रता प्रमाण–पत्र दिया गया। अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि एक दूसरी इकाई जो उसी स्थान पर स्थापित थी, 15 जून 1988 से 29 मई 1995 के बीच 76.50 लाख रूपये की कर मुक्ति का लाभ लेने के बाद मार्च 1996 में बन्द कर दी गयी। चूँकि दोनो इकाइयों के प्रवर्तक/निदेशक एक ही थे अतः 2.31 करोड़ रूपये की कर मुक्ति का पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया जाना गलत था।

(3) 27 मई 1991 की शासकीय विज्ञप्ति द्वारा नई इकाइयों तथा ऐसी इकाइयों को जो विविधीकरण, आधुनिकीकरण तथा विस्ताराधीन की प्रक्रिया में हों, कर की छूट अथवा कर की दर में कमी की सुविधा स्वीकृत की गयी। विज्ञप्ति के अनुसार तेल खरीद कर उसका शोधन करने वाली इकाइयाँ छूट की पात्र नहीं हैं।

(क) दो व्यापार कर मण्डल (कानपुर और लखनऊ) में यह देखा गया कि लुब्रिकेन्ट तेल का शोधन करने वाली दो इकाइयों को 70.65 लाख रूपये की कर मुक्ति का गलत पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

(ख) कपड़े धोने के साबुन तथा पाउडर का उत्पादन करने वाली एक इकाई को सितम्बर 2000 से विविधीकरण योजना के अन्तर्गत कम्बोडेड केक तथा पाउडर के उत्पादन के लिये पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया। चूँकि कम्बोडेड केक तथा पाउडर भी डिटरजेन्ट है और डिटरजेन्ट

केक तथा पाउडर जैसी उसकी प्रकृति है अतः कर मुक्ति जारी करना गलत था। साफ्ट ड्रिंक्स उत्पादन करने वाली एक दूसरी इकाई को भी विविधीकरण योजना के अन्तर्गत अप्रैल 1996 में, फ्रूट जूस (स्लाइस) जो कि एक साफ्ट ड्रिंक भी है, को पात्रता प्रमाण–पत्र दिया गया। चूँकि इन दोनों मामलों में कर मुक्ति दिया जाना गलत था, परिणामस्वरूप 8.06 करोड़ रूपये की गलत छूट दी गयी।

2.2.6 कर से छूट की अधिक स्वीकृति

31 मार्च, 1995 की विज्ञप्ति के अनुसार, 1 अप्रैल 1995 या उसके पश्चात् लेकिन 31 मार्च 2000 तक विस्तार/आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण अपनाने वाली इकाई को उत्पादित माल की बिक्री पर कर से छूट/कर की दर में कमी, अतिरिक्त स्थिर पूंजी विनियोजन तक ही सीमित होगी।

दो व्यापार कर मण्डलों (गाजियाबाद और मेरठ) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 3 व्यापारियों को 24.51 करोड़ रूपये के लिए विविधीकरण और छूट हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया (सितम्बर 1995 और सितम्बर 2000) जबकि कर की छूट 16.17 करोड़ रूपये के अतिरिक्त स्थिर पूंजी विनियोजन तक ही सीमित थी। इसके परिणामस्वरूप 8.34 करोड़ रूपये की अधिक कर मुक्ति स्वीकृति की गयी।

2.2.7 गलत रियायतें

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 और उसके अन्तर्गत 31 मार्च 1995 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार छूट प्राप्त इकाइयों के तैयार माल/उत्पादों की बिक्री पर कर की संगणना, अधिनियम के अन्तर्गत कर की सामान्य दर के आधार पर होगी तद्नुसार उसका समायोजन छूट की सीमाओं के अन्तर्गत ही होगा।

तीन व्यापार कर मण्डलों (इलाहाबाद, गाजियाबाद एवं लखनऊ) में यह देखा गया (अक्टूबर 2001) कि 5 पात्रता प्रमाण–पत्र धारक व्यापारियों द्वारा विभिन्न घोषणापत्रों के विरुद्ध निर्मित वस्तुओं को कर की सामान्य दर के स्थान पर रियायती दर पर बिक्री की गई और कर निर्धारण अधिकारी ने कर की वर्तमान दर के स्थान पर छूट की सीमा के विरुद्ध इसी कर को समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप 3.02 करोड़ रूपये के कर का कम समायोजन हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष	सामान्य दर से देय कर	रियायती दर से दिया गया कर	कम कर का आरोपण
1	2	3	4	5	6
1-	असि0 कमि0(क0नि0)–6, लखनऊ	1995-96 से 1998-99	170-87	62-30	108-57
2-	असि0 कमि0(क0नि0)–12, लखनऊ	1997-98 से 1998-99	83-00	16-55	66-45

1	2	3	4	5	6
3-	व्यापार कर अधिकारी–11, लखनऊ	1997-98 से 1998-99	0-50	0-13	0-37
4-	व्यापार कर अधिकारी–7, इलाहाबाद	1997-98 से 1998-99	27-66	6-91	20-75
5-	असि0 कमि0(क0नि0)–1, गाजियाबाद	1998-99 से 1999-2000	161-00	55-25	105-75
	योग		**443-03**	**141-14**	**301-89**

2.2.8 पूर्वगामी प्रभाव से प्रदत्त कर मुक्ति

अधिनियम की धारा–25 के अन्तर्गत, जहां सरकार सन्तुष्ट हो कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वह पूर्वगामी तिथि से विज्ञप्ति जारी कर सकती है परन्तु उक्त तिथि जारी विज्ञप्ति की तिथि से 6 माह के पूर्व की नहीं होगी।

कमिश्नर व्यापार कर ने दिनांक 17 अक्टूबर 2001 के परिपत्र के द्वारा कालीन निर्यातकों को अपंजीकृत व्यापारियों से 1 अक्टूबर 1997 से 14 फरवरी 1999 की अवधि में कालीन की खरीद पर कर तथा उस पर देय ब्याज से मुक्ति प्रदान कर दी जो कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।

व्यापार कर अधिकारी, भदोही के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि 26 कालीन निर्यातकों को जिन्होंने 1998–99 की अवधि में 7.71 करोड़ रूपये की कालीनें अपंजीकृत व्यापारियों से खरीदी थी, कमिश्नर के 17 अक्टूबर 2001 के आदेश के आधार पर 96.45 लाख रूपये के व्यापार कर तथा ब्याज के आरोपण से उन्हें मुक्ति प्रदान की गयी। इसके परिणामस्वरूप 96.45 लाख रूपये की अनियमित छूट प्रदान की गयी।

2.2.9 अनियमित छूट प्रदान करना

(1) दिनांक 27 फरवरी 1997 की विज्ञप्ति में यह प्रावधान है कि एक संस्थान को के. वी. आई. सी.© या यू. पी. के. वी. आई.# बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के विरुद्ध किसी कर निर्धारण वर्ष में मात्र 50 लाख रूपये तक के टर्नओवर पर कर मुक्ति उपलब्ध होगी। किसी व्यक्ति विशेष अथवा फर्म को निर्गत प्रमाण–पत्र पर कर मुक्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

व्यापार कर मण्डल, कानपुर में यह देखा गया (सितम्बर 2001) कि दो व्यापारियों को यू पी के वी आई बोर्ड द्वारा निर्धारित उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिये प्रमाण–पत्र जारी किया गया और

© के वी आई सी–खादी ग्रामोद्योग आयोग
यू पी के वी आई–उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग

वर्ष 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान कर से छूट दी गयी। चूँकि व्यापारी साझीदारी फर्मे थीं, अतः उनको व्यापार कर से मुक्ति दिया जाना अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप 6.51 लाख रूपये राजस्व की क्षति हुयी।

(2) व्यापार कर मण्डल, लखनऊ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 2001) कि दो व्यापारियों ने वर्ष 1998–99 में कर के भुगतान के बिना 81.68 लाख रूपये मूल्य का धुलाई के साबुन का निर्माण और उसकी बिक्री किया। कर निर्धारण अधिकारी ने भी यह मानते हुए कि माल के वी आई सी द्वारा स्वीकृत छूट से आच्छादित हैं, कर अदा करने से मुक्त कर दिया। करमुक्ति प्रदान करना गलत था क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण–पत्र के वी आई सी या जिला ग्रामोद्योग अधिकारी लखनऊ द्वारा जारी नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 6.13 लाख रूपये की गलत कर मुक्ति प्रदान की गयी।

(3) जूते चप्पलों का निर्माण और बिक्री छूट के लिए अनुमन्य नहीं है क्योंकि यह उत्पाद खादी तथा ग्रामोद्योग की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है।

व्यापार कर मण्डल, आगरा में यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग विभाग से प्राप्त प्रमाण–पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1998–99 के दौरान 71.28 लाख रूपये के कर मुक्त कच्चा माल की खरीद किया और उससे निर्मित जूते चप्पलों की 95.01 लाख रूपये में करमुक्त बिक्री किया। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2001) उसे कर मुक्त खरीद/बिक्री मानते हुए करारोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप माल की खरीद और बिक्री पर 10.24 लाख रूपये का करारोपण नहीं हुआ।

(4) अधिनियम की धारा 4–क में कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करते हुए एक निश्चित अवधि के लिये पात्रता प्रमाण–पत्र धारक नई औद्योगिक इकाई को इसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर कर मुक्ति/कमी का प्रावधान हैं।

व्यापार कर मण्डल, लखनऊ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 1998–99 में एक व्यापारी को स्वनिर्मित एस्बेस्टस शीट की 15 करोड़ रूपये की बिक्री को कर मुक्त कर दिया गया जबकि उक्त व्यापारी को उद्योग विभाग द्वारा कोई पात्रता प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1.88 करोड़ रूपये के राजस्व की क्षति हुयी।

2.2.10 अधिनियम/नियमों/विज्ञप्ति में कमी के कारण अनुचित लाभ

राज्य में किसी विनिर्दिष्ट उद्योग के विकास को बढ़ावा देने अथवा विनिर्दिष्ट माल के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4–क के अन्तर्गत समय–समय पर छूट प्रदान की गयी। ऐसे प्रोत्साहन उद्योगों को बढ़ाने और निवासियों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए थे।

नमूना जांच के दौरान 279 नई इकाइयों के सम्बन्ध में एकत्र की गयी सूचना के आधार पर यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि ये इकाइयाँ या तो छूट की अवधि के दौरान ही बन्द हो गयी अथवा छूट

की अवधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् बन्द हो गयी थी। इन इकाइयों ने 1990–91 और 1999–2000 के मध्य 115.81 करोड़ रूपये की छूट का लाभ प्राप्त कर लिया था। अधिनियम या नियमों में न तो उद्देश्य की पूर्ति की सुरक्षा के लिये कोई दण्डात्मक प्रावधान है और न ही उन मामलों में छूट की राशि की वसूली का ही कोई प्रावधान है, जहां कुछ अवधि तक छूट की सुविधा लेने के पश्चात इकाई को चालू नहीं रखा गया। इससे इकाइयाँ अनुचित लाभ की ओर अग्रसर हुई।

2.2.11 प्रति सत्यापन

अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार पंजीकृत व्यापारी कर मुक्त अथवा रियायती दर पर माल को खरीदने के लिये अधिकृत होता है यदि ऐसा खरीदा हुआ माल पुनर्विक्रयार्थ अथवा बिक्री के लिए माल के निर्माण में प्रयोग के लिए लाया गया हो, बशर्ते क्रेता व्यापारी विक्रेता व्यापारी को निर्धारित घोषणापत्र उपलब्ध करा दे।

गौतमबुद्ध नगर के दो व्यापारियों की खरीद से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्रों के प्रति सत्यापन से यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि वर्ष 1998–99 के दौरान असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण)–2, व्यापार कर नोएडा के एक व्यापारी ने 333.78 करोड़ रूपये की प्राकृतिक गैस की बिक्री, घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध कर की रियायती दर पर किया किन्तु विक्रेता व्यापारी ने अपने खातों में इससे सम्बन्धित मात्र 317.88 करोड़ रूपये ही दर्ज किये। इस प्रकार 15.90 करोड़ रूपये का टर्नओवर कर निर्धारण से छूट गया जिसके परिणामस्वरूप 79.47 लाख रूपये का कम कर आरोपित हुआ।

2.2.12 आन्तरिक नियंत्रण की कमी

कर मुक्ति/रियायतों से सम्बन्धित कर निर्धारण मामलों के प्रासंगिक पंजिकाओं, अभिलेखों तथा पत्रावलियों की जांच से यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि व्यापार कर विभाग/ वित्त विभाग ने न तो इस बात का आँकलन किया और न ही गणना ही की कि कर मुक्त/रियायतों के कारण कितने राजस्व से वंचित होना पड़ा और इसका वित्तीय प्रभाव क्या रहा। नई इकाइयों को दी गयी गलत और अनुचित कर मुक्ति की जांच हेतु कोई भी तंत्र (मेकनिजम) नहीं था। इससे स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है कि विभाग, निर्धारित प्रक्रिया के क्रियान्वयन पर समुचित आन्तरिक नियंत्रण रखने में विफल रहा।

कर मुक्ति का लाभ लेने वाली इकाइयों की कुल संख्या, व्यापार बन्द कर देने वाली इकाइयों की संख्या, कर मुक्ति की योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त छूट की राशि से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखे गये थे। परिणामस्वरूप लक्ष्य तथा उद्देश्य की प्राप्ति की प्रगति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हैं।

2.2.13 निष्कर्ष

कर मुक्ति/रियायत की योजना यह ध्यान में रख कर बनायी गयी थी कि ये नीतियाँ राज्य में विशेष कर पिछले इलाके में औद्योगीकरण को बढ़ावा देगी। यह योजना असफल रही क्योंकि

बहुत सी इकाइयाँ कर मुक्ति की अवधि के दौरान या कर मुक्ति का लाभ लेने के तुरन्त बाद ही बन्द कर दी गयीं। चूँकि ऐसी इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में कोई दण्डात्मक प्रावधान नहीं था अतः विभाग द्वारा इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। अपात्र/दोषी इकाइयों को भी किसी न किसी बहाने कर मुक्ति दी गयी। व्यापार कर विभाग और पात्रता प्रमाण–पत्र देने वाले विभागों के बीच कोई तालमेल नहीं रहा। आन्तरिक नियंत्रण कमजोर और अपर्याप्त था। परिणामस्वरूप, गलत कर मुक्ति प्रदान की गयी जिससे कर राजस्व की क्षति हुयी।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

2.3 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 30 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेशों का पुनः खोला जाना।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 30 के अनुसार, यदि व्यापारी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर, स्वीकृत कर के जमा होने के ठोस प्रमाण के साथ कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन करता है और प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि आवेदक को नोटिस प्राप्त नहीं हुयी थी अथवा वह सुनवाई की नियत तिथि को पर्याप्त कारणों से उपस्थित होने में असमर्थ था, तो वह एक पक्षीय रूप से पारित कर निर्धारण आदेश को समाप्त करके उसे पुनः खोलने के लिये सक्षम हैं।

(क) धारा 30 के प्रावधानों का बारम्बार प्रयोग करना

छः असिस्टेन्ट कमिश्नरों (कर निर्धारण) तथा एक व्यापार कर अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि अक्टूबर 1996 और जून 2001 के मध्य सात व्यापारियों के मामलों में धारा 30 के अन्तर्गत बार–बार एक पक्षीय रूप से कर निर्धारण किये गये (एक बार से सात बार तक) परन्तु इस धारा के अन्तर्गत मामले अभी भी लम्बित थे। इसके परिणामस्वरूप 1987–88 से 1996–97 के कर निर्धारण वर्षों के लिए मार्च 1993 से मार्च 1998 तक की अवधि का 45.29 करोड़ रूपये का राजस्व वसूल नहीं हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	कार्यालयों के नाम	कर निर्धारण वर्ष	एक पक्षीय रूप से पारित कर निर्धारण आदेश की तिथि	एक पक्षीय कर निर्धारण पर लगाया गया कर	धारा 30 के अन्तर्गत अन्तिम पुनः कर निर्धारण की तिथि	धारा 30 के अन्तर्गत लगाया गया कर	जमा कर की धनराशि	राजस्व की वसूली न होना	कितनी बार पुनः कर निर्धारण किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	असि0 कमि0 (क0नि0)–9 आगरा	1992-93	27.3.1996	13.512.01	7.2.2001	13.881.66	9738.18	4143.48	7 बार
2	असि0 कमि0 (क0नि0)3,लखनऊ	1991-92	31.3.1994	6.00	27.10.1996	6.00	--	6.00	5 बार
		1992-93	31.3.1994	6.00	27.10.1998	6.00	--	6.00	5 बार
		1996-97	22.3.1998	3.75	31.3.2000	3.75	--	3.75	2 बार

(लाख रूपये में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	व्यापार कर अधिकारी–21, कानपुर	1993-94	20.3.1996	16.00	30.12.2000	16.00	--	16.00	5 बार
		1994-95	27.3.1996	40.00	30.12.2000	40.00	--	40.00	5 बार
4	असि0 कमि0 (क0नि0)5,कानपुर	1994-95	23.10.1997	22.80	7.6.2001	---	17.02	5.78	2 बार
		1995-96	21.11.1997	4.80	7.6.2001	---	1.46	3.34	2 बार
5	असि0 कमि0 (क0नि0)–5,लखनऊ	1995-96	28.3.1998	49.50	25.1.1999	49.50	22.25	27.25	1 बार
6	असि0 कमि0 (क0नि0)3,लखनऊ	1990-91	25.5.1993	49.69	29.1.1998	49.69	--	49.69	6 बार
		1992-93	25.5.1993	89.49	27.1.1998	89.49	--	89.49	5 बार
		1993-94	12.3.1997	38.25	14.3.2000	38.25	--	38.25	4 बार
		1995-96	30.3.1998	37.50	15.3.2000	37.50	--	37.50	4 बार
		1996-97	30.3.1998	37.50	15.3.2000	37.50	--	37.50	2 बार
7	असि0 कमि0 (क0नि0)5,लखनऊ	1987-88	31.3.1993	13.60	26.12.2000	10.20	0.55	9.65	6 बार
		1988-89	31.3.1993	6.80	26.12.2000	4.86	0.05	4.81	5 बार
		1989-90	19.3.1994	5.45	21.12.2000	3.86	--	3.81	5 बार
		1990-91	29.3.1995	2.93	27.12.2000	1.98	--	1.98	5 बार
		1991-92	21.3.1996	2.79	27.12.2000	2.20	--	2.20	5 बार
		1992-93	21.3.1996	2.96	26.12.2000	2.08	--	2.08	5 बार
योग								**4528.61**	

(ख) मामलों को अनियमित रूप से पुनः खोला जाना

अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक व्यापारी, जिसने अपना स्वीकृत कर जमा कर दिया है आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर एक पक्षीय रूप से पारित कर निर्धारण आदेश को समाप्त करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन दे सकता हैं और यदि प्राधिकारी सन्तुष्ट हो तो वह आदेश को निरस्त कर, मामले की सुनवाई हेतु उसे पुनः खोल सकता है।

दो व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि कर निर्धारण अधिकारियों ने धारा 30 के अन्तर्गत ऐसे मामलों को भी पुनः खोलने के लिए स्वीकार कर लिया जबकि उन मामलों में व्यापारियों द्वारा सम्पूर्ण स्वीकृत कर जमा नहीं किया

गया था। इसके परिणामस्वरूप 53.72 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैं:

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्यालयों के नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष	देय स्वीकृत कर	जमा स्वीकृत कर	एक पक्षीय कर निर्धारण पर लगाया गया कर	धारा 30 के अन्तर्गत लगाया गया कर	राजस्व की हानि
1	असि0 कमि0 (क0नि0)–19, कानपुर	एक	1994-95 1995-96	13.12 28.81	12.13 28.42	14.96 69.25	13.12 28.81	1.84 40.44
2	असि0 कमि0 (क0नि0)–19, कानपुर	एक	1998-99	0.33	0.24	7.00	0.73	6.27
3	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1, झाँसी	एक	1997-98	0.08	0.07	5.25	0.08	5.17
	योग			**42.34**	**41.86**	**96.46**	**42.74**	**53.72**

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया(जून 2001 तथा मार्च 2002) कि ये मामले धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार ही खोले गये थे। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि सम्पूर्ण स्वीकृत कर जमा नहीं किया गया था।

2.4 कम करारोपण

(क) माल का गलत वर्गीकरण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम), के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर जारी विज्ञप्तियों द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार करारोपण किया जाता है।

7 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि (जनवरी 1998 से नवम्बर 2001 के मध्य) माल के गलत वर्गीकरण के कारण, कर की सही दर नहीं लगाई गई जिसके परिणामस्वरूप 64.79 लाख रूपये (अतिरिक्त कर सहित) का कर कम आरोपित हुआ जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्यालयों के नाम	कर निर्धारण वर्ष कर निर्धारण का माह	गलत वर्गीकरण की प्रकृति	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–3 व्यापार कर, वाराणसी	1996–97 फरवरी 1999	मिनरल पानी, पानी की भाँति वर्गीकृत	12.18	10	शून्य	1.22

(लाख रूपये में)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–4 आगरा	1992–93 से 1993–94 जुलाई 1996	पशु चालित वाहनों के हब, कृषि यंत्रों की भाँति वर्गीकृत	10.42	10	शून्य	1.04
3	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3 वाराणसी	1996–97 से 1997–98 दिसम्बर 1999	कच्चा रेशम, कपड़े (फैब्रिक) की भाँति वर्गीकृत	483.42	10	शून्य	48.34
4	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1 इलाहाबाद	1994–95 से 1995–96 मार्च 1998	तेंदू के पत्ते, पत्तियों की भाँति वर्गीकृत	4.40 15.58	12.5 15	शून्य शून्य	0.55 2.34
5	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–8 व्यापार कर, कानपुर	1998–99 मार्च 2001	प्लास्टिक के थेले करारोपण से मुक्त	65.97	10	शून्य	6.60
6	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3 आगरा	1998–99 मार्च 2001	पी0 वी0 चमड़े के कपड़े को कपड़ा माना गया	31.33	10	शून्य	3.13
7	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–1 व्यापार कर, बरेली	1998–99 फरवरी 2001	टाफी, मिठाई की भाँति वर्गीकृत	31.37	10	5	1.57
			योग	**654.67**			**64.79**

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जनवरी 1998 तथा दिसम्बर 2000 के मध्य) विभाग ने एक मामले में कर निर्धारण आदेश को संशोधित करके (मार्च 1999) 1.04 लाख रूपये का कर आरोपित कर दिया। अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

मामला, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1998 तथा सितम्बर 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

(ख) कर की गलत दर का लगाया जाना

(1) 10 व्यापार कर कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1998 से नवम्बर 2001 के मध्य) कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 1996 से मार्च 2001 के मध्य) कर की गलत दरें लगायी गयीं। इसके परिणामस्वरूप 71.57 लाख

रूपये के कर का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्यालयों का नाम	कर निर्धारण वर्ष कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम	करयोग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–6 वाराणसी	1993–94 से 1994–95 मार्च 1996	सेन्ट एवं परफ्यूम	35.67	15	10	1.78
2	असि0कमि0 (क0नि0)–6 व्यापार कर, लखनऊ	1998–99 फरवरी 2001	फैक्स मशीन, सेलफोन, दवायें	123.60	7.5	5	3.09
		1994–95 से 1995–96 मई 1997		95.00	10	7.5	2.37
3	असि0कमि0 (क0नि0)–2 व्यापार कर, बरेली	1998–99 फरवरी 2001	सीमेण्ट	28.22	12.5	10	0.71
4	असि0कमि0 (क0नि0)–1 व्यापार कर, लखनऊ	1993–94 मार्च 2000	क्रीम तथा मखनिया दूध का पाउडर	69.02	5	शून्य	3.45
5	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2 बलिया	1996–97 अक्टूबर 1998	कीट नाशक, प्लास्टिक का पाइप	22.65	10	7.5	0.57
	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2 बलिया	1996–97 मार्च 1999		5.08 4.28	10 10	4 5	0.30 0.22
6	असि0कमि0 (क0नि0)–2 व्यापार कर, रामपुर	1997–98 फरवरी 2000	जीराक्स और फैक्स मशीन, स्टैबलाइजर	1737.67	7.5	5	43.44
				49.00	5	2.5	1.23
7	असि0कमि0 (क0नि0)–1 व्यापार कर, नोएडा	1998–99 मार्च 2001	ठण्डा करने का सयंत्र	17.98	15	7.5	1.35
8	असि0कमि0 (क0नि0)–8 व्यापार कर, कानपुर (3 व्यापारी)	1999–2000 नवम्बर 2000	मखाना, एस0डब्लू पाइप	39.98 22.51	12.5 15	10 10	1.00 1.13
		1998–99 जून 2000					

1	2	3	4	5	6	7	8
9	असि0कमि0 (क0नि0) व्यापार कर, देवरिया	1996–97 से 1997–98 / फरवरी 1999	आटा, मैदा, सूजी	218.91	2.5		5.47
10	असि0कमि0 (क0नि0) मिर्जापुर	1998–99 / जनवरी 2001	कोल ब्रिकेट	136.51	4		5.46
			योग	**2605.58**			**71.57**

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 1998 तथा नवम्बर 2001 के मध्य) 5 मामलों में विभाग ने 10.75 लाख रूपये का कम कर निर्धारण स्वीकार किया (सितम्बर 1998 तथा दिसम्बर 2001 के मध्य) तथा 10.75 लाख रूपये की माँग सृजित कर दी।

मामला, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 1998 से मई 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

(2) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा–8(2–क) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत से कम की दर पर करयोग्य माल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर प्रान्तीय दर से कर देय है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा–8(5) के प्रावधान, धारा–8(2–क) के अधीन व्यवस्थित कर की दरों में कमी करने हेतु अपर्याप्त है। अग्रेतर, अधिनियम के अन्तर्गत 1 अक्टूबर 1994 से इलेक्ट्रानिक वस्तुएं 2.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है।

2 व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (दिसम्बर 2001) यह देखा गया कि धारा–8(2–क) के अन्तर्गत 2.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य इलेक्ट्रानिक माल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 2 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किया गया जिससे 1.64 करोड़ रूपये का कर कम निर्धारित हुआ जैसा कि नीचे दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	इकाई	वस्तु का नाम	वर्ष / कर निर्धारण माह	टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर	आरोपित कर	कम आरोपण
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	असि0कमि0 (क0नि0) गौतमबुद्ध नगर	इलेक्ट्रानिक वस्तुएँ	1998-99 / (फरवरी 2001)	31565.40	2.5%	2%	157.83
2.	असि0कमि0 (क0नि0)–3 नोएडा	इलेक्ट्रानिक वस्तुएँ	1997-98 / (मार्च 2001)	581.17	2.5%	2%	2.91
3.	असि0कमि0 (क0नि0)–3 नोएडा	इलेक्ट्रानिक वस्तुएँ	1998-99 / (जून 2001)	327.14	2.5%	2%	1.64

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असि0कमि0 (क0नि0) गौतमबुद्ध नगर	इलेक्ट्रानिक वस्तुएँ	1998-99 (मार्च 2001)	188.54	2.5%	2%	0.94
5.	असि0कमि0 (क0नि0)–3 व्यापार कर नोएडा	इलेक्ट्रानिक वस्तुएँ	1995-96 (अप्रैल 2000)	49.20	2.5%	2%	0.24
	योग						**163.56**

लेखापरीक्षा में इस चूक को इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि दिनांक 10 अक्टूबर 1995 की शासकीय विज्ञप्तियों के अनुसार सही कर आरोपित किया गया। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि शासन द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति अनियमित थी क्योंकि धारा–8(2–क) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत से कम कर की दर से कर योग्य माल पर प्रान्तीय दरों की भाँति कर देयता है। शासन ने, लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर लिया है (मार्च 2002)।

(ग) अनियमित विज्ञप्ति के कारण कर का अनारोपण

केन्द्रीय अधिनियम की धारा–8(2–क) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत से कम दर की वस्तुओं पर उसकी अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर राज्य की भाँति ही कर देय होता है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा–8(5) के प्रावधान, धारा–8(1) और धारा–8(2) तक सीमित हैं और धारा–8(2–क) के अधीन व्यवस्थित कर की दरों में कमी नहीं कर सकते। इस प्रकार दिनांक 31 मार्च 1993 की शासकीय विज्ञप्ति, जिसके अनुसार कर प्रदत्त गेहूँ से निर्मित आटा, मैदा एवं सूजी की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री करमुक्त है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। वस्तुतः ये वस्तुएं कर प्रदत्त गेहूँ से निर्मित थीं और उन पर प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत 2.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

आगरा, कानपुर और मुगलसराय के व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि व्यापारियों ने आटा, मैदा एवं सूजी की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री की थी जिस पर उपरोक्त सन्दर्भित शासकीय विज्ञप्ति के अन्तर्गत कर नहीं लगाया गया। अनियमित विज्ञप्ति जारी किये जाने से 5.26 करोड़ रूपये की राजस्व क्षति हुई। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	इकाई	वस्तु का नाम	वर्ष / कर निर्धारण माह	टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर	आरोपित कर की दर	कम आरोपण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असि0कमि0 (क0नि0)–1 व्यापार कर, कानपुर	आटा, मैदा और सूजी	1996-97 (दिसम्बर 1998)	555.97	2.5%	शून्य	13.90

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असि0कमि0 (क0नि0)–1 व्यापार कर, कानपुर	आटा, मैदा और सूजी	1998-99 (मई 2000)	201.52	2.5%	शून्य	5.04
3.	असि0कमि0 (क0नि0)–5 व्यापार कर, कानपुर	आटा, मैदा और सूजी	1994-95 (नवम्बर 1998)	384.14	2.5%	शून्य	9.60
4.	असि0कमि0 (क0नि0)–9 व्यापार कर, आगरा	आटा, मैदा और सूजी	1996-97 (सितम्बर 1998)	20.04	2.5%	शून्य	0.50
5.	——तदैव——	आटा, मैदा और सूजी	1997-98 (मार्च 1999)	22.00	2.5%	शून्य	0.55
6	असि0कमि0 (क0नि0)व्यापार कर मुगलसरांय	आटा, मैदा और सूजी	1997-98 (मार्च 2000)	6181.60	2.5%	शून्य	154.54
7.	——तदैव——	आटा, मैदा और सूजी	1998-99 (फरवरी 2001)	8841.96	2.5%	शून्य	221.04
8.	——तदैव——	आटा, मैदा और सूजी	1997-98 (फरवरी 2000)	3468.11	2.5%	शून्य	86.70
9.	——तदैव——	आटा, मैदा और सूजी	1999-2000 (मार्च 2001)	1361.21	2..5%	शून्य	34.03
	योग						**525.90**

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर सभी कर निर्धारण अधिकारियों ने उत्तर में बताया कि शासन की विज्ञप्ति दिनांक 31 मार्च 1993 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं, जो कि लेखापरीक्षा को मान्य नहीं हैं क्योंकि उक्त विज्ञप्ति केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा–8(2–क) के प्रावधानों के विपरीत जारी की गयी थी जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया हैं।

2.5 क्रय कर का अनारोपण

अधिनियम की धारा 3–क क क क के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी जो एक पंजीकृत व्यापारी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति से कोई माल खरीदता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा चाहे कर देय हो अथवा नहीं, ऐसे माल की खरीद पर क्रय कर के भुगतान का दायित्व उसी दर से होगा जिस दर से ऐसे माल की बिक्री पर कर देय है।

7 व्यापार कर कार्यालयों♠ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 2000 तथा नवम्बर 2001

♠ अम्बेदकर नगर, गोण्डा, हरदोई, कानपुर, पीलीभीत, सीतापुर तथा वाराणसी।

के मध्य) कि 14 व्यापारियों ने 1997–98 तथा 1998–99 की अवधि में 29.51 लाख रूपये के कर का भुगतान किये बिना अपंजीकृत व्यापारियों से 2.28 करोड़ रूपये मूल्य के धान एवं टिम्बर की खरीद की। कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप देते समय (सितम्बर 1999 तथा मार्च 2001 के मध्य) कर निर्धारण अधिकारी करारोपण में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप 29.51 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मई 2000 से नवम्बर 2001 के मध्य) कर निर्धारण अधिकारियों ने 3 मामलों में कर निर्धारण आदेश में संशोधन करते हुये 7.19 लाख रूपये का क्रय कर आरोपित कर दिया। विभाग ने बताया कि 23 नवम्बर 1998 की विज्ञप्ति के अनुसार 1 दिसम्बर 1998 से टिम्बर की बिक्री पर केवल आयात अथवा निर्माणकर्त्ता के बिन्दु पर ही कर देय है क्योंकि 1 दिसम्बर 1998 के पूर्व टिम्बर की खरीद पर क्रय कर आरोपणीय नहीं था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त विज्ञप्ति जलाऊ लकड़ी से सम्बन्धित है टिम्बर से नहीं।

मामला, विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2001 तथा मार्च 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

2.6 अतिरिक्त कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 1 अगस्त 1990 से कर के दायी प्रत्येक व्यापारी द्वारा माल की खरीद और बिक्री पर कर का 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर भी देय हैं।

व्यापार कर अधिकारी खण्ड–4, वाराणसी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 2001) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान अपंजीकृत व्यापारियों से 7.28 करोड़ रूपये की ऊनी कालीनें खरीदी। यद्यपि कि उस पर कर लगाया गया परन्तु अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 18.22 लाख रूपये के अतिरिक्त कर का अनारोपण हुआ।

मामला, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2001 तथा जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

2.7 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रपत्र 'सी' अथवा 'डी' की घोषणा से अनाच्छादित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर, 10 प्रतिशत की दर अथवा राज्य के अन्दर ऐसी वस्तुओं के क्रय अथवा बिक्रय पर लागू दर से, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय है।

5 व्यापार कर कार्यालयों♣ की लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया (दिसम्बर 1997 तथा नवम्बर 2001 के मध्य) कि बिना फार्म 'सी' व 'डी' से समर्थित 3.20 करोड़ रूपये के माल की अन्तर्प्रान्तीय

♣ आगरा, बरेली, हापुड़, मऊ तथा नोएडा।

बिक्री पर गलत दर से करारोपण किया गया। इसके परिणामस्वरूप 19.13 लाख रूपये का कर कम आरोपित हुआ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1997 तथा नवम्बर 2001 के मध्य) विभाग ने बताया (मार्च 2002 तथा मई 2002) कि 3 मामलों में 15.16 लाख रूपये की अतिरिक्त माँग सृजित कर दी गयी है (मार्च 1998 तथा फरवरी 2002 के मध्य)। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है।

मामला, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 1999 तथा दिसम्बर 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

2.8 ब्याज का अनारोपण

अधिनियम के अन्तर्गत, कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यापारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारित अवधि के अन्दर देय कर की धनराशि को जमा कर दे। व्यापारी द्वारा देय स्वीकृत कर यदि नियत तिथि तक जमा नहीं किया जाता तो नियत तिथि से जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होता है।

(क) 6 व्यापार कर कार्यालयों♠ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1999 तथा अक्टूबर 2001 के मध्य) कि व्यापारियों द्वारा 1.74 करोड़ रूपये का स्वीकृत कर 10 माह से 157 माह के बिलम्ब से जमा किया गया जिस पर 1.18 करोड़ रूपये का ब्याज आरोपणीय था परन्तु उसे आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जून 1999 तथा अक्टूबर 2001 के मध्य) केवल 2 मामलों में विभाग ने 0.37 करोड़ रूपये का ब्याज आरोपित कर दिया (जुलाई 2000 तथा दिसम्बर 2001 के मध्य)। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2002)।

(ख) असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण), गोण्डा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 2001) कि विभाग द्वारा वर्ष 1988–89 के लिए जुलाई 2000 में 0.43 करोड़ रूपये का स्वीकृत कर निर्धारित किया गया परन्तु उसे लेखापरीक्षा की तिथि तक (अगस्त 2001) जमा नहीं किया गया। 157 माह के लिए (अगस्त 1988 से अगस्त 2001) 1.34 करोड़ रूपये का ब्याज आरोपणीय था परन्तु उसे आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2001) विभाग ने दिसम्बर 2001 में 1.16 करोड़ रूपये का ब्याज आरोपित कर दिया। इसके विरुद्ध व्यापारी द्वारा अपील की गयी तथा उप कमिश्नर अपील, बहराइच द्वारा स्थगन आदेश प्रदान कर दिया गया हैं (नवम्बर 2002)।

मामले, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये (अगस्त 1999 से दिसम्बर 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

♠ इलाहाबाद, अम्बेदकर नगर, गोण्डा, मथुरा, रायबरेली तथा रामपुर।

2.9 घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

अधिनियम की धारा 3-ख के प्रावधानों के अनुसार मिथ्या या गलत घोषणा प्रपत्रों को निर्गत करने की स्थिति में व्यापारी ऐसी धनराशि के बराबर की राशि के भुगतान का दायी होगा जो ऐसे संव्यवहार पर कर के रूप में देय थी, यदि ऐसी घोषणायें अथवा प्रमाणपत्र निर्गत न किये गये होते।

4 व्यापार कर कार्यालयों♣ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1997 तथा दिसम्बर 2001 के मध्य) कि 4 मान्यता प्रमाणपत्र धारक व्यापारियों ने 1996-97 से 1999-2000 की अवधि में कई अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री आदि की खरीद गलत घोषणा के आधार पर करमुक्त अथवा कर की रियायती दर से की। लेकिन वे इन वस्तुओं को खरीदने हेतु अपने मान्यता प्रमाणपत्र में अधिकृत नहीं थे। इसलिए, व्यापारी 22.56 लाख रूपये के कर के भुगतान के दायी थे।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जून 1997 से दिसम्बर 2001 के मध्य) विभाग ने बताया कि सितम्बर 1997 और मार्च 2001 के मध्य 3 मामलों में 20.38 लाख रूपये की माँग सृजित कर दी गयी है। अन्य मामले में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (नवम्बर 2002)।

मामला, विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2001 तथा मार्च 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

2.10 टर्नओवर के छूट जाने पर कर का अनारोपण

व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत, शासन द्वारा समय-समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार कर का आरोपण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 1 अगस्त 1990 से कर के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

6 व्यापार कर कार्यालयों♠ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1998 तथा अगस्त 2001 के मध्य) कि 1993-94 से 1998-99 की अवधि के लिये 7 व्यापारियों के अन्तिम कर निर्धारण पारित करने तक कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 3.80 करोड़ रूपये के टर्नओवर को संज्ञान में नहीं लिया गया (दिसम्बर 1997 एवं मार्च 2001 के मध्य) इसके परिणामस्वरूप 46.10 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जुलाई 1998 तथा अगस्त 2001 के मध्य) विभाग ने दो मामलों में 1.21 लाख रूपये की माँग सृजित कर दी है। अन्य मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (नवम्बर 2002)।

मामला, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1998 तथा अक्टूबर 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

♣ कोसीकलाँ (मथुरा), मेरठ, मुगलसराय तथा वाराणसी।

♠ आगरा, अलीगढ़, चाँदपुर (बिजनौर), गोण्डा, फतेहगढ़ तथा ललितपुर।

2.11 गलत करमुक्ति

(क) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–4–क के अन्तर्गत, पात्रता प्रमाण–पत्र धारक एक इकाई जिसके द्वारा माल का निर्माण किया जाता है कर की दर में कमी अथवा करमुक्ति की हकदार होती है। यह न्यायिक♣ रूप से निर्णीत है कि मिनरल चिप्स अथवा टुकड़ों की पिसाई करके मिनरल पाउडर बनाना वस्तु की प्रकृति को नहीं बदलता और न ही निर्माण के अन्तर्गत आता है।

असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) व्यापार कर, कोसीकलां (मथुरा) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 2000 तथा दिसम्बर 2001 के मध्य) कि एक व्यापारी ने 1994–95 से 1998–99 की अवधि में बोरेक्स टुकड़ों (पेण्टा) को पीसने के बाद बोरेक्स पाउडर की बिक्री किया और उस बिक्री पर 1998–99 तक 39.74 लाख रूपये की करमुक्ति का लाभ लिया। चूँकि बोरेक्स टुकड़ों की पिसाई कर बोरेक्स पाउडर बनाना निर्माण नहीं है, अतः इसके परिणामस्वरूप 39.74 लाख रूपये के कर की गलत करमुक्ति हुई।

मामला, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2001 तथा फरवरी 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

(ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4–क सपठित शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 27 जुलाई 1991 के अन्तर्गत एक पात्रता प्रमाण–पत्र धारक नई इकाई, (1 अप्रैल 1990 और 31 मार्च 1995 के मध्य स्थापित) निश्चित अवधि एवं मौद्रिक सीमा तक माल की बिक्री पर करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की पात्र होती हैं।

2 व्यापार कर कार्यालयों♠ की लेखापरीक्षा के दौरान (दिसम्बर 1998 तथा अक्टूबर 2001 के मध्य) यह देखा गया कि 4 व्यापारियों के मामले में 1994–95 से 1998–99 की अवधि के दौरान 9.39 लाख रूपये के देय कर की देयता न तो निकाली गयी और न ही निर्धारित मौद्रिक सीमा के विरुद्ध समायोजित की गयी। इसके परिणामस्वरूप 9.39 लाख रूपये की गलत करमुक्ति दी गयी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1998 तथा अक्टूबर 2001 के मध्य) विभाग ने 7.44 लाख रूपये का कर आरोपित कर दिया और इसे छूट की सीमा के विरुद्ध समायोजित कर दिया।

मामले, शासन को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001 तथा फरवरी 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

♣ (1980) 46 एस0टी0सी0 208(इला0) मे0 मिनरल सेल्स कार्पोरेसन (1990) 79 एस0टी0सी0 156 (एम0पी0) कमि. आफ सेल्स टैक्स यू0पी0 बनाम मे0 लाल कुआं स्टोन क्रशर (पी) लि0 ई0टी0सी0 (एस0टी0आई0) मार्च 2000 एस0सी0–53

♠ व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2 देवरिया (2) असि0 कमि0(क0नि0) भरथना (इटावा)।

2.12 अर्थदण्ड का अनारोपण

(क) अधिनियम की धारा 4–ख (5) सपठित शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 21 मई 1994 के अन्तर्गत निर्माताओं को राज्य के अन्दर बिक्री के लिए विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयोग हेतु कर की रियायती दर पर अथवा करमुक्त कच्चे माल, पैकिंग सामग्री आदि की खरीद की सुविधा है। यदि कच्चा माल अथवा निर्मित माल का अन्यथा निस्तारण उस प्रयोजन से भिन्न किया जाता है जिसके लिए मान्यता प्रमाणपत्र निर्गत किया गया था, तो व्यापारी ऐसी धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का दायी होगा जो उसके द्वारा कर में प्राप्त राहत की धनराशि से कम न होगी परन्तु ऐसी राशि प्राप्त राहत के तीन गुने से अधिक न होगी।

4 व्यापार कर कार्यालयों♠ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1999 तथा अक्टूबर 2001 के मध्य) कि 4 मान्यता प्रमाणपत्र धारक व्यापारियों ने विज्ञापित वस्तु के निर्माण हेतु 1994–95 से 1998–99 की अवधि के दौरान 100.79 करोड़ रूपये का कच्चा माल करमुक्त/ रियायती दर पर खरीदा और 5.12 करोड़ रूपये की कर में छूट प्राप्त की। व्यापारियों ने कच्चे माल का उपयोग खाद के निर्माण में न करके विद्युत के उत्पादन में किया और माल को परिषण के आधार पर राज्य के बाहर भेज दिया, अतः व्यापारी कम से कम 5.12 करोड़ रूपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के दायी थे।

मामला, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 1999 तथा फरवरी 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

(ख) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी किसी अन्य प्रान्त के व्यापारी से कोई माल कर की रियायती दर पर प्रपत्र 'सी' की घोषणा के आधार पर इस शर्त पर खरीद सकता है कि उक्त माल उसके पंजीयन प्रमाणपत्र में उल्लिखित है। यदि व्यापारी पंजीयन प्रमाणपत्र से अनाच्छादित माल की खरीद घोषणा के आधार पर करता हैं, तो कर की धनराशि के अधिकतम डेढ़ गुने तक अर्थदण्ड आरोपणीय है।

18 व्यापार कर मण्डलों♣ के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1996 तथा दिसम्बर 2001 के मध्य) कि 19 व्यापारियों ने वर्ष 1992–93 तथा 1998–99 के मध्य प्रपत्र 'सी' की घोषणा के विरुद्ध 5.71 करोड़ रूपये मूल्य का ऐसा माल खरीदा जो उनके पंजीयन प्रमाणपत्र से आच्छादित नहीं था। इस प्रकार 89.44 लाख रूपये का अर्थदण्ड यद्यपि आरोपणीय था, परन्तु उसे आरोपित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप उस सीमा तक शासकीय राजस्व की कम वसूली हुयी।

♠ बदायूँ, बुलन्दशहर, खुर्जा तथा नोएडा।

♣ आगरा, भरथना, देवरिया, फतेहपुर, हाथरस, झांसी, कानपुर (4), मथुरा, मेरठ (2), नोएडा, वाराणसी, उन्नाव (2), शाहजहाँपुर।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 1999 तथा सितम्बर 2001 के मध्य) कि 13.40 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया हैं (जुलाई 1999 से अगस्त 2001 के मध्य)।

मामले, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल 1998 तथा मार्च 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

2.13 अर्थदण्ड का अनारोपण

(क) अधिनियम की धारा–15(क)(1)(ग) के अन्तर्गत, यदि कर निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है कि व्यापारी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा जानबूझकर ऐसे टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है, तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी, कर के अतिरिक्त ऐसे अर्थदण्ड का भुगतान करेगा जो इस प्रकार बचाये गये कर के 50 प्रतिशत से कम न हो परन्तु 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

एक असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0 नि0) एवं 2 व्यापार कर अधिकारियों (क0 नि0) के कार्यालयों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1999 और फरवरी 2000 के मध्य) कि 3 व्यापारियों के मामले में, जिन्होंने टर्नओवर छिपाया/दबाया था, विभाग ने 13.68 लाख रूपये का कर तो लगा दिया परन्तु अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया, जबकि व्यापारी 6.84 लाख रूपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के दायी थे। इसके परिणामस्वरूप 6.84 लाख रूपये के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1999 तथा फरवरी 2000 के मध्य) विभाग ने दो मामलों में 5.42 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया।

मामले, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये (मई 2001 तथा अप्रैल 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

(ख) अधिनियम की धारा–8–घ (6) के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को सकर्म संविदा के अनुसरण में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, ऐसा भुगतान करते समय ऐसी सकर्म संविदा के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय राशि के 4 प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा। यदि किसी व्यक्ति ने जिस माह में कटौती की थी उस माह के अगले माह की अन्तिम तिथि के पूर्व ऐसी कटौती की धनराशि जमा करने में असफल रहता है, तो कर निर्धारण प्राधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार काटी गई धनराशि के दुगुने से अनधिक धनराशि का अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करेगा।

दो व्यापार कर अधिकारियों के कार्यालयों♠ की लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में यह देखा गया

♠ इलाहाबाद तथा बदायूँ।

(अक्टूबर 1998 तथा अक्टूबर 1999 के मध्य) कि दो व्यापारियों ने वर्ष 1996–97 के दौरान संविदाकारों से 7.02 लाख रूपये के कर की कटौती तो की परन्तु उसे निर्धारित समय के अन्दर राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया, परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी ने 14.04 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। इस प्रकार, शासन को 14.04 लाख रूपये के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

इसे इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 1998 तथा अक्टूबर 1999) विभाग ने एक व्यापारी के मामले में 1.63 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया।

मामले, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1998 तथा मार्च 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

2.14 ग्राहको से अधिक वसूले गये कर के अनियमित समायोजन के कारण राजस्व की हानि

अधिनियम की धारा 29–क(3) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा ग्राहको से अधिक वसूला गया कर जिसे कोषागार में जमा कर दिया गया है केवल उन्हीं ग्राहकों को विहित ढंग से वापस किया जा सकता है जिनसे व्यापारी द्वारा वसूला गया था। यह न्यायिक रूप से निर्णीत♠ है उक्त व्यापारी की बकाया माँग का समायोजन उससे नहीं किया जा सकता।

असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण)–2 व्यापार कर वाराणसी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 2001) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1997–98 के दौरान ग्राहकों से सीमेन्ट की बिक्री पर 32.56 लाख रूपये का कर अधिक वसूला। व्यापारी द्वारा इस प्रकार अधिक वसूले गये कर को उन ग्राहकों को वापस करने के बजाय मार्च 1998 के अपने कर की माँग के विरुद्ध समायोजित कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप 32.56 लाख रूपये की राजस्व क्षति हुई।

मामला, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

2.15 गणना की त्रुटि के कारण कम करारोपण

4 व्यापार कर कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान कर की गणना की त्रुटियों के मामले प्रकाश में

♠ कमिश्नर आफ ट्रेड टैक्स उ0 प्र0 बनाम कुमार अलमुनियम इन्डस्ट्रीज (1994 का सेल्स टैक्स रिवीजन नं0 758 दिनांक 3–11–1999 को निर्णीत एस0टी0आई0–2000 इलाहाबाद एच0सी0–58)।

आये जिसके परिणामस्वरूप 5.28 लाख रूपये का कर कम आरोपित हुआ। विवरण नीचे सारिणी में दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष कर निर्धारण माह	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर	आरोपित कर	कम आरोपित कर
1.	असि0 कमि0 (क0 नि0) व्यापार कर, कर्बी, चित्रकूट	1997–98 मई 2000	20.33	0.81	0.21	0.60
2.	असि0 कमि0 (क0 नि0) व्यापार कर, सिकन्दराबाद	1996–97 मार्च 1999	45.62	2.11	1.11	1.00
3.	व्यापार कर अधिकारी, नजीबाबाद	1996–97 मार्च 1999	96.93	3.88	3.08	0.80
4.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–1, जौनपुर	1998–99 मार्च 2001	80.00	3.20	0.32	2.88
	योग		**242.88**	**10.00**	**4.72**	**5.28**

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, (नवम्बर 1999 से अक्टूबर 2001 के मध्य) विभाग ने त्रुटियों का सुधार करके दो मामलों में 4.68 लाख रूपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी।

मामले, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 2000 और मई 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

अध्याय–3 : राज्य आबकारी विभाग

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के दौरान की गयी लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 47.26 करोड़ रूपये की धनराशि के शुल्क और फीस के अनारोपण/कम आरोपण के 170 मामले पाये गये जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अतिशय मार्गस्थ/भण्डारण, छीजन	16	9.81
2.	निर्यात पास फीस का कम आरोपण	9	1.79
3.	ब्याज का अनारोपण	14	1.30
4.	प्रशमन शुल्क/अर्थदण्ड का अनारोपण	57	11.13
5.	अन्य अनियमितताऐं	74	23.23
	योग	**170**	**47.26**

वर्ष 2001–2002 के दौरान विभाग द्वारा 27 मामलों में कम निर्धारण आदि से सम्बन्धित 4.99 करोड़ रूपये धनराशि की वसूली की गयी।

उदाहरणार्थ, कुछ मामले, जिनमें 17.28 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं।

3.2 शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन

उत्तर प्रदेश आबकारी आसवनी कार्यकलाप (संशोधित) नियमावली, 1978 के अनुसार शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से न्यूनतम 52.5 अल्कोहलिक लीटर (ए0एल0) शराब का उत्पादन होता है। प्रयुक्त शीरे से निर्धारित न्यूनतम शराब की मात्रा के उत्पादन में विफलता की स्थिति में सम्बन्धित आसवक के लाइसेंस के निरस्तीकरण एवं जमा जमानत धनराशि का जब्त किया जाना अपरिहार्य है। यह अधिनियम के अन्तर्गत अन्य आरोपणीय अर्थदण्ड के अतिरिक्त होगा। इस कार्य हेतु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वे शीरे के मिश्रित नमूने लेकर अल्कोहल टैक्नोलाजिस्ट के पास जांच के लिए भेजें। नमूना प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर, अल्कोहल टैक्नोलाजिस्ट द्वारा अपना प्रतिवेदन सम्बन्धित आसवनी के प्रभारी को भेजा जाना अपेक्षित है।

13 आसवनियों© की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1999 से जुलाई 2001 के मध्य) कि वर्ष 1998–99 से 2001–2002 के दौरान शीरे के 96 मिश्रित नमूने अल्कोहल टैक्नोलाजिस्ट को जांच के लिए भेजे गये। अल्कोहल टैक्नोलाजिस्ट के प्रतिवेदन के अनुसार नमूने में उपस्थित किण्वीय शर्करा के आधार पर अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 24567442.20 अल्कोहलिक लीटर के बजाय 28309170.34 अल्कोहलिक लीटर होना चाहिये। इस प्रकार 3741728.14 अल्कोहलिक लीटर अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ जिससे 17.12 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की क्षति अनुलग्नक 'क' के अनुसार हुयी।

मामले, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (जून 1999 और जनवरी 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

3.3 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 यथा संशोधित (मार्च 1985) के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहां कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है वहां देय तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूली योग्य होता है। अधिनियम में संशोधन की तिथि के पूर्व देय आबकारी राजस्व यदि संशोधन की तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता तो, 29 मार्च 1985 से ब्याज प्रभारित किया जाना अपेक्षित हैं।

7 जिला आबकारी कार्यालयों♣ की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (नवम्बर 1999 और नवम्बर 2001 के मध्य) कि 10.13 लाख रूपये का आबकारी राजस्व 64 से 198 माहों के विलम्ब से जमा किया गया (मार्च 1996 से मई 2001 के मध्य)। फिर भी विलम्बित भुगतान पर 15.98 लाख रूपये का ब्याज विभाग द्वारा आरोपित तथा वसूल नहीं किया गया।

मामले, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल 2000 और मार्च 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

© कप्तान गंज (कुशीनगर), धामपुर (बिजनौर), गजरौला (ज्योतिबा फूले नगर), घोसी (मऊ), गोला (लखीमपुर खीरी), गोण्डा, कायमगंज (फर्रुखाबाद), मसोधा (फैज़ाबाद), मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर), मुरादाबाद, नानपारा (बहराइच), पिल्खनी (सहारनपुर) एवं स्योंहारा (बिजनौर)।

♣ अलीगढ़, आजमगढ़, बुलन्द शहर, फतेहपुर, गोरखपुर, महोबा और मिर्जापुर।

अध्याय–4 : वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा में वर्ष 2001–2002 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 310 मामलों में 10.26 करोड़ रूपये की धनराशि के करों/ शुल्कों का कम लगाया जाना या न लगाया जाना प्रकाश में आया जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1-	यात्रीकर / अतिरिक्त यात्रीकर का कम लगाया जाना/ न लगाया जाना	122	6-05
2-	मार्ग कर एवं मालकर का अवनिर्धारण	24	0-73
3-	अन्य अनियमितताऐं	164	3-48
	योग	**310**	**10-26**

वर्ष 2001–2002 के दौरान विभाग ने कम निर्धारण आदि के 69 मामलों जिनमें 1.39 करोड़ रूपये की राशि निहित थी और 2001–2002 की लेखा परीक्षा में उसे इंगित किया गया स्वीकार किये। इनमें से 2.37 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है।

उदाहरणार्थ, कुछ मामले जिनमें 2.96 करोड़ रूपया निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं:

4.2 अतिरिक्त कर का कम आरोपण

9 नवम्बर 1998 से प्रभावी, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के प्रावधानों के अन्तर्गत, नगरपालिका परिषद् अथवा नगर निगम की सीमाओं में संचालित सिटी बसों पर 4200 रूपया तथा 6000 रूपया प्रति तिमाही की दर से बैठने की क्षमता के अनुसार अतिरिक्त कर आरोपणीय है। नगरपालिका परिषद्/ नगर निगम सीमाओं के बाहरी क्षेत्रों में परमिट की शर्तों का उल्लंघन करके संचालन की दशा में, इन्हें ठेका वाहन (कान्ट्रैक्ट कैरेज) मानकर अतिरिक्त कर आरोपणीय है।

संभागीय परिवहन कार्यालयों, कानपुर नगर एवं बरेली की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 2000 तथा जून 2001 के मध्य) कि 137 बसें (50 बसें कानपुर नगर में तथा 87 बसें बरेली में) नगर निगम सीमाओं से बाहर संचालित हो रही थीं। फिर भी, उनके द्वारा अतिरिक्त कर का भुगतान ठेका वाहनों के बजाय सिटी बसों की ही तरह किया जा रहा था। इसके फलस्वरूप नवम्बर 1998 से जून 2000 की अवधि के लिए 1.74 करोड़ रूपये का अतिरिक्त कर कम आरोपित हुआ।

मामला, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2000 और फरवरी 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

4.3 कर एवं अतिरिक्त कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की चौथी अनुसूची के प्रस्तर 1(क) के अनुसार नगर निगम अथवा नगरपालिका परिषद् की सीमाओं के अन्दर संचालित स्टेज कैरेज (सिटी बस) पर बैठने की क्षमता के आधार पर निर्धारित दरों पर, अतिरिक्त कर प्रभार्य है। उक्त प्रावधान के स्पष्टीकरण 1 के अन्तर्गत, बैठने की क्षमता का आगणन सीटों की कुल संख्या में, अनुमन्य खड़े यात्रियों की संख्या की आधी संख्या को जोड़कर किया जायेगा।

संभागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर नगर एवं सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बहराइच की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 2000 और सितम्बर 2001) कि 293 वाहन जो सिटी बस के रूप में चल रहे थे कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान अपनी पूर्ण बैठने की क्षमता के आधार पर कर रहे थे परन्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त कर के आरोपण हेतु खड़े होने की स्वीकृत क्षमता को संज्ञान में नहीं लिया गया था (नवम्बर 1998 से सितम्बर 2001 के मध्य) जिसके फलस्वरूप 53.71 लाख रूपये के कर एवं अतिरिक्त कर की कम वसूली हुई।

मामला, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2001 और मार्च 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं(दिसम्बर 2002)।

4.4 अतिरिक्त कर का अनिर्धारण

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 6 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार प्रक्रम वाहनों सहित ठेका वाहनों पर अतिरिक्त कर प्रभार्य है। फिर भी, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के वाहनों को अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त रखा गया है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बहराइच एवं मुजफ्फरनगर तथा संभागीय परिवहन अधिकारी, बरेली तथा झांसी के कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 2001 तथा नवम्बर 2001 के मध्य) कि नवम्बर 1998 से नवम्बर 2001 के मध्य 18 वाहनों, जो कि बच्चों को उनके घर से स्कूल लाने एवं वापस छोड़ने के लिए प्रयुक्त होते थे, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के नाम में पंजीकृत नहीं थे। विभाग द्वारा अतिरिक्त कर का न तो निर्धारण किया गया और न ही वसूली की गयी। इसके फलस्वरूप 41.94 लाख रूपये का अतिरिक्त कर अनारोपित रहा।

मामला, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2001 तथा जुलाई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

4.5 अतिरिक्त कर/यात्रीकर का अनारोपण एवं वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 एवं 21 नवम्बर 1996 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत मैक्सीकैब वाहनों पर 2350 रूपया प्रतिमाह की दर से यात्रीकर निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (9 नवम्बर 1998 से प्रभावी) के

अन्तर्गत यात्रीकर का नया नाम अतिरिक्त कर रख दिया गया जो 1500 रूपया प्रतिमाह की दर से देय था, जिसमें 10 मार्च 2000 से 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी।

संभागीय परिवहन कार्यालयों बरेली, वाराणसी एवं कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 2000 एवं जून 2001 के मध्य) कि 73 मैक्सीकैब वाहनों के मामले में नवम्बर 1996 से जून 2001 की अवधि में विभाग द्वारा न तो यात्रीकर/अतिरिक्त कर का निर्धारण किया गया और न ही वसूली की गयी थी। इसके फलस्वरूप 16.53 लाख रूपये के यात्रीकर/अतिरिक्त कर का आरोपण एवं वसूली नहीं की गयी।

मामला, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2000 एवं जनवरी 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

4.6 शासकीय अधिसूचना के विलम्ब से परिसंचरण के कारण राजस्व हानि

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में संशोधन करते हुये केन्द्र सरकार ने 28 मार्च 2001 की शासकीय अधिसूचना द्वारा लाइसेंस फीस, पंजीयन फीस तथा फिटनेस फीस की दरों में वृद्धि कर दी।

चार संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों (कानपुर नगर, बरेली, प्रतापगढ़ एवं बस्ती) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि (जून 2001 तथा अक्टूबर 2001 के मध्य) 28 मार्च 2001 से 29 अप्रैल 2001 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा बढ़ी हुई दरों पर फीस की वसूली नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप 9.33 लाख रूपये की राजस्व क्षति हुयी।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि (जून 2001 से अक्टूबर 2001 के मध्य) संशोधित दरें दिनांक 30 अप्रैल 2001 (आदेश प्राप्ति की तिथि) से लागू की गयी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि बढ़ी हुई दरें आदेश जारी होने की तिथि अर्थात् 28 मार्च 2001 से वसूली योग्य थी।

मामले, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (अगस्त 2001 तथा फरवरी 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

अध्याय–5 : स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 की लेखापरीक्षा के दौरान जिला निबन्धकों एवं उप निबन्धकों के अभिलेखों की नमूना जांच में 347 मामलों में 25.24 करोड़ रूपये के स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस कम आरोपित किये जाने का पता चला, जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि
1-	सम्पत्तियों के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का कम आरोपण	175	2-02
2-	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	88	0-75
3-	स्टाम्प शुल्क की वसूली का न किया जाना	28	21-14
4-	अन्य अनियमितताऐं	56	1-33
	योग	**347**	**25-24**

उदाहरणार्थ 21.36 करोड़ रुपयें के कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित है :

5.2 सम्पत्तियों के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत हस्तान्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क, कृषि भूमि के बाजार मूल्य पर अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य पर इनमें से जो भी अधिक हो, आरोपणीय है। पुनः कृषि भूमि से इतर भूमि के हस्तान्तरण विलेख पर उस क्षेत्र के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित विलेख निष्पादन की तिथि को लागू प्रति वर्ग मीटर की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है।

14 उप–निबन्धक कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 2000 तथा दिसम्बर 2001 के मध्य) कि अगस्त 1999 से सितम्बर 2001 तक की अवधि के कृषि से इतर भूमि के 20 हस्तान्तरण विलेख कृषि से इतर भूमि के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार 2.81 करोड़ रूपये मूल्य के स्थान पर कृषि भूमि की दर से 49.91 लाख रूपये मूल्य पर पंजीकृत

किये गये। भूमि का मूल्यांकन कम लगाने के कारण 22.29 लाख रूपये के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर सात मामलों में उप–निबन्धक ने कम मूल्यांकन स्वीकार किये (जून 2000 से नवम्बर 2001 के मध्य) और बताया कि उचित मूल्यांकन हेतु मामले को कलैक्टर को प्रेषित किया जायेगा।

मामले, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (अगस्त 2001 और मार्च 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

5.3 स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस टेण्डर सह नीलामी नियमावली 1991 के अन्तर्गत, उन मामलों में जहां लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा देशी/ विदेशी मदिरा के विक्रय हेतु अनुज्ञापनों के आवंटन के लिए बोली स्वीकृत की गयी हैं वहाँ बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा अनुबन्ध की निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन हेतु अग्रिम जमानत जमा करनी होगी। प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को जिसके पक्ष में लाइसेंस दिया गया हो, लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध भी निष्पादित करना होगा। दिनांक 12 अप्रैल 1999 की शासकीय अधिसूचना द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह विलेख बंधक विलेख की श्रेणी में आते हैं तथा तद्नुसार ही स्टाम्प शुल्क आरोपणीय होगा।

28♣ जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों की जांच में यह देखा गया (अगस्त 2000 से अक्टूबर 2001 के मध्य)कि वर्ष 1998–99,1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान देशी/विदेशी मदिरा एवं भाँग की बिक्री हेतु लाइसेंसों की नीलामी की स्वीकृति पर अनुज्ञापियों ने ठेके के उचित निष्पादन हेतु 171.50 करोड़ रूपये की जमानत जमा की तथा काउन्टर अनुबन्ध निष्पादित किया। किन्तु इन अनुबन्धों को बंधक विलेख मानते हुए जमानत की नगद जमा धनराशि पर 21.14 करोड़ रूपये देय स्टाम्प शुल्क को न तो आरोपित किया गया और न ही वसूल किया गया। फलस्वरूप 21.14 करोड़ रूपये के स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं हुयी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जून 2000 से अक्टूबर 2001 के मध्य) जिला आबकारी अधिकारियों ने बताया (अप्रैल 1998 से मार्च 2001) कि आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त होने पर

♣ जिला आबकारी अधिकारी, औरया, आजमगढ़, अलीगढ़, बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, चित्रकूट, इटावा (2), एटा (2), फतेहपुर, फर्रूखाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, हाथरस, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मुजफ्फर नगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, सहारनपुर, संत रविदास नगर।

आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मामला, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2001 से अप्रैल 2002 के मध्य) शासन ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2001) में सम्बन्धित स्टाम्प कलैक्टरों को, जिला आबकारी अधिकारियों से प्रासंगिक विलेख एकत्र करने एवं सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध वाद दायर करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। आगे इस सम्बन्ध में सूचना प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2002)।

अध्याय–6 : भू–राजस्व

6.1 लेखापरीक्षा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 की अवधि में भू–राजस्व विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 158 मामलों में 13.73 करोड़ रूपये के भू–राजस्व का न वसूल किया जाना/कम वसूल किया जाना, संग्रह प्रभार का कम वसूल किया जाना एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1-	भू–राजस्व का न/ कम वसूल किया जाना	38	9.61
2-	संग्रह प्रभार की न/ कम वसूली किया जाना	66	3.53
3-	किसान बही की आपूर्ति के लिए फीस की वसूली न किया जाना	24	0.41
4-	अन्य अनियमितताएं	30	0.18
	योग	**158**	**13.73**

वर्ष 2001–2002 के दौरान विभाग द्वारा 11.70 करोड़ रूपये की राशि वसूल की गयी।

95.95 लाख रूपये के वित्तीय प्रभाव के कुछ मामले अनुवर्ती प्रस्तर में वर्णित हैं।

6.2 संग्रह प्रभार की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 और समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किसी निगम या बैंकिंग कम्पनी या स्थानीय निकाय से जारी वसूली प्रमाण–पत्र के प्राप्त होने पर राजस्व अधिकारी उसमें उल्लिखित धनराशि को, कार्यवाही की लागत (संग्रह व्यय) सहित, भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल करने की कार्यवाही करेंगे। संग्रह किये गये/किये जाने वाले देयों की धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह व्यय सम्बन्धित ऋण प्राप्त कर्ताओं से वसूल किया जाता है। यदि जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्रों को वापस ले लिया जाता है अथवा ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा बकाये की राशि को सीधे सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा कर दिया जाता है, तो संग्रह प्रभार वसूली योग्य है।

20 तहसीलों तथा एक भू–राजस्व संग्रह कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 2000 तथा अगस्त 2001 के मध्य) कि ऐसे 382 माामलों में जिनमें या तो ऋण लेने वाले

व्यक्तियों द्वारा धनराशि सम्बन्धित निकायों को सीधे जमा कर दी गयी थी अथवा उन निकायों द्वारा वसूली प्रमाण–पत्र वापस ले लिये गये थे, 95.95 लाख रूपये का संग्रह व्यय वसूल नहीं किया गया।

मामलें, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 2001 और जुलाई 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

अध्याय–7 : अन्य कर प्राप्तियाँ

(क) विद्युत शुल्क

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के दौरान लेखापरीक्षा में सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) एवं नियुक्त प्राधिकारियों के लेखों एवं प्रासंगिक अभिलेखों की नमूना जाँच से 26 मामलों में 3.36 करोड़ रूपये के विद्युत शुल्क के न लगाये जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1-	विद्युत शुल्क का अनारोपण	14	3.28
2-	ब्याज का अनारोपण	1	0.01
3-	निरीक्षण फीस का अनारोपण	3	0.04
4-	बिजली की खपत पर विद्युत शुल्क का अनारोपण	8	0.03
	योग	**26**	**3.36**

वर्ष 2001–2002 के दौरान विभाग ने 19 मामलों में 43.81 लाख रूपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकर किया।

32.38 लाख रूपये के वित्तीय प्रभाव के कुछ मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं:

7.2 विद्युत शुल्क का अनारोपण

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी उपभोक्ता को बेची गयी ऊर्जा पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार विद्युत शुल्क आरोपणीय है। शासन ने यह स्पष्ट किया था (अगस्त 1995) कि नियुक्त प्राधिकारियों (रक्षा विभाग) द्वारा सैन्य कर्मियों को प्रभार मुक्त या रियायती दरों पर आपूर्ति की गयी ऊर्जा के मामलों में ऊर्जा की खपत पर विद्युत शुल्क की गणना उसी पूर्ण दर पर की जायेगी जो दरें अन्य उपभोक्ताओं पर लागू होती है।

चार नियुक्त प्राधिकारियों तीन दुर्ग अभियन्ता कार्यालय और एक वरिष्ठ परिक्षेत्रीय विद्युत अभियन्ता सेन्ट्रल रेलवे, झाँसी) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (जून 2000 और जुलाई 2001 के मध्य) कि फरवरी 1999 एवं जून 2001 के मध्य रक्षा कर्मियों तथा रेल कर्मियों को उनके घरेलू उपभोग के लिये 159.01 लाख यूनिट विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की गयी थी परन्तु विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 14.31 लाख रूपये विद्युत शुल्क आरोपित नहीं किया गया।

मामलें, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित कियें गये (मई 2001 और दिसम्बर 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

7.3 विद्युत शुल्क का न/कम लगाया जाना

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 सपठित उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत एक लाइसेन्स धारक को उसके द्वारा देय विद्युत शुल्क की धनराशि, जिस माह में मीटर रीडिंग की गयी थी उसके बाद के दो माह के अन्दर राजकीय कोषागार में जमा करना होता है। जहाँ विद्युत प्रभार एक मुश्त वसूल किया जाता है वहां ऐसे प्रभारों पर 20 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क आरोपणीय होता है।

3 कार्यालयों♠ के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (फरवरी 2001 और मार्च 2001 के मध्य) कि फरवरी 2000 और फरवरी 2001 के मध्य घरेलू उपभोग के लिये आपूर्ति की गयी विद्युत ऊर्जा पर यू0पी0 विद्युत बोर्ड और जी0एस0वी0एम0 कालेज कानपुर के कर्मचारियों से 94.11 लाख रूपये की वसूली की गयी। परन्तु 18.07 लाख रूपये की विद्युत शुल्क की वसूली या तो नहीं की गयी अथवा कम वसूल की गयी।

मामला, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2001 और दिसम्बर 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

(ख) मनोरंजन तथा बाजी कर

7.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के मनोरंजन कर के विभिन्न कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि 66 मामलों में 1.29 करोड़ रूपये के कर/फीस का

♠ सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा), बिजनौर, वाराणसी एवं गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय, कानपुर।

अनारोपण/कम आरोपण किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्र0 सं0	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	मनोरंजन कर/लाइसेन्स फीस का अनारोपण/ या वसूली न किया जाना	19	0.43
2.	अन्य अनियमितताएं	47	0.86
	योग	**66**	**1.29**

वर्ष 2001–2002 के दौरान विभाग ने 2001–2002 की लेखापरीक्षा में इंगित 16 मामलों में 0.22 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि के मामले को स्वीकार किया और 0.23 करोड़ रूपये की वसूली की जो इस वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

कुछ मामले, जिसमें 14.14 लाख रूपये के वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं:

7.5 मनोरंजन कर का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश मनोरंजन कर एवं बाजीकर अधिनियम, 1979 सपठित उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली 1997 तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत प्रवेश शुल्क के 30 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर प्रभार्य है।

जिला मनोरंजन कर अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 2001) कि एक केबिल संचालक ने अप्रैल 1998 से अक्टूबर 2001 तक की अवधि में 1092 केबिल कनेक्शन धारकों से 60 रूपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह की दर से शुल्क वसूल किया, परन्तु मनोरंजन कर का भुगतान नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप 6.50 लाख रूपये का मनोरंजन कर अनारोपित रहा।

मामला, विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2002 एवं फरवरी 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

7.6 उपभोग न की गयी रख-रखाव प्रभार की धनराशि की वसूली न होना

उत्तर प्रदेश मनोरंजन कर एवं बाजीकर अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत सिनेमा मालिकों द्वारा, सिनेमा हाल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से, 1.50 रूपये प्रति सिनेमा दर्शक रख-रखाव प्रभार के रूप में अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जाना था। सिनेमा मालिकों द्वारा इस प्रकार से वसूले गये रख-रखाव प्रभार को सिनेमा हाल के रख-रखाव पर व्यय किया जाना था। उपयोग न किये जाने की स्थिति में इस प्रकार एकत्र की गयी राशि मनोरंजन कर के रूप में शासकीय लेखों में जमा

किया जाना था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह न्यायिक रूप से निर्णीत♠ है कि उपयोग न की गयी रख-रखाव प्रभार की धनराशि विभाग द्वारा शासकीय लेखों में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने भी दिनांक 1 अक्टूबर 2001 की विज्ञप्ति के द्वारा इसको तद्नुरूप जमा करने का निर्देश दिया था।

डिप्टी कमिश्नर मनोरंजन कर, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 2001) कि अप्रैल 2000 से मार्च 2001 वर्ष के दौरान 6 सिनेमा मालिकों ने 7.64 लाख रूपये रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूल किये जिसका प्रयोग न तो सिनेमा हाल के रख-रखाव पर किया गया और न ही मनोरंजन कर के रूप में उसे कोषागार में जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप 7.64 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2001), विभाग ने बताया कि सिनेमा मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

मामला, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

♠ सत्यचित्र मन्दिर बलिया एवं अन्य बनाम कमिश्नर मनोरंजन कर (याचिका संख्या 1187/ 93)।

अध्याय–8 : वन प्राप्तियाँ

वन विभाग

8.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के दौरान वन विभाग के मण्डलीय अभिलेखों की नमूना जाँच में 78.29 करोड़ रूपये के पट्टा किराया, अर्थदण्ड आदि के वसूल न किया जाना/ कम वसूल किया जाना आदि एवं अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुयीं जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि
1-	रायल्टी का गलत निर्धारण	21	9.87
2-	आरा मिलों के पंजीकरण न किये जाने से राजस्व क्षति	1	0.01
3-	तेदूँ पत्तों के संग्रहण एवं निस्तारण में अनियमितताएँ	4	1.03
4-	विविध अनियमितताएँ	140	67.38
	योग	**166**	**78.29**

वर्ष 2001–2002 और पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित 77.11 करोड़ रूपये के कुछ मामले, उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं:

8.2 रायल्टी की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश तेदूँ पत्ता (व्यापार विनिमय) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार वर्ष के दौरान तेदूँ पत्तों का मूल्य निर्धारित करेगी। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश वन निगम (यू.पी.एफ.सी.) को तेदूँ पत्तों की बिक्री के लिए उसको एक मात्र प्रतिनिधि नियुक्त किया (1983) और आदेश दिया (20 सितम्बर 1983) कि 1983–84 तथा बाद के वर्षों के लिये रायल्टी, पूर्व वर्ष में बेचे गये तेदूँ पत्तों के मूल्य में पूर्ववर्ती वर्ष में हुयी प्रतिशत वृद्धि और मूल्य निर्धारण वर्ष में बाजार दर में हुयी असामान्य वृद्धि, यदि कोई हो, जोड़ने के पश्चात् वसूल की जायेगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मूल्यांकन और कार्य योजना) उ.प्र., लखनऊ के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया (जनवरी 2001) कि फसली वर्ष 1990 से 2001 तक उत्तर प्रदेश फारेस्ट कार्पोरेशन (यू.पी.एफ.सी.) द्वारा प्रति फसल प्रतिवर्ष 6.63 करोड़ रूपये की तदर्थ रायल्टी का भुगतान किया जा रहा था क्योंकि रायल्टी की धनराशि के पुनरीक्षण का निर्णय लम्बित था। यू.पी.एफ.सी. द्वारा 1990–91 से 2000–2001 की अवधि की रायल्टी की धनराशि में बढ़ोत्तरी,

सितम्बर 1983 के फार्मूले के आधार पर 76.84 करोड़ रूपये निकाली गयी। इस प्रकार शासनादेशों के क्रियान्वयन न होने के परिणामस्वरूप रायल्टी के मद में 76.84 करोड़ रूपये के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुयी।

मामला, शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

8.3 टिम्बर के वास्तविक उत्पाद पर रायल्टी न लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि

मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (अक्टूबर 1992) के अनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0प्र0व0नि0) के द्वारा टिम्बर के अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन के मध्य 5 से 10 प्रतिशत की भिन्नता अनुमन्य है।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, शाहजहाँपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह तथ्य उद्घाटित हुआ (मार्च 2002) कि उ0प्र0व0नि0 द्वारा वर्ष 1998–99,1999–2000 और 2000–2001 के दौरान टिम्बर का वास्तविक उत्पादन 658.4620 घन मीटर किया गया जो अनुमानित उत्पाद (304.3730 घन मीटर) से 116.33 प्रतिशत अधिक हुआ लेकिन प्रभाग ने केवल अनुमानित उत्पाद के आधार पर ही रायल्टी की माँग सृजित की। परिणामस्वरूप 318.68 घन मीटर टिम्बर पर 27.29 लाख रूपये (10 प्रतिशत भिन्नता की अनुमति देने के बाद) की रायल्टी का निर्धारण और वसूली छूट गयी।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2002) प्रभागीय निदेशक, शाहजहाँपुर ने बताया (मार्च 2002) कि रायल्टी की माँग की गणना टिम्बर के अनुमानित उत्पादन पर की गयी न कि वास्तविक उत्पादन पर। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि यह मुख्य वन संरक्षक उत्तर प्रदेश के द्वारा अक्टूबर 1992 में जारी मार्गदर्शिका के विरुद्ध है।

इस प्रकार, टिम्बर के वास्तविक उत्पादन पर रायल्टी प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप 27.29 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुयी।

मामला, शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2002); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (दिसम्बर 2002)।

अध्याय–9 : अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

(क) लोक निर्माण विभाग

9.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के दौरान लोक निर्माण विभाग के लेखों एवं सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच से 62 मामलों में 0.87 करोड़ रूपये की अनियमितताएं प्रकाश में आयीं जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1-	स्टाम्प शुल्क की कम वसूली के कारण हानि	3	0.24
2-	सेन्टेज प्रभारों का न लगाया जाना	1	0.03
3-	खाली ड्रमों की नीलामी न करने से हानि	4	0.02
4-	अन्य अनियमितताऐं	54	0.58
	योग	**62**	**0.87**

वर्ष 2001–2002 के दौरान विभाग ने 3 मामलों में 4.50 लाख रूपये की आपत्तियों को स्वीकार किया।

उदाहरणस्वरूप, 30.24 लाख रूपये के कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में वर्णित हैं:

9.2 अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन न किये जाने से राजस्व क्षति

जून 1999 से मई 2000 की अवधि के लिए नरोरा (बुलन्दशहर जनपद) में गंगा नदी पर बने पुल पर पथकर की वसूली हेतु 87 लाख रूपये का एक ठेका दिया गया था। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा 22 लाख रूपये की प्रतिभूति जमा की जानी थी तथा जून, 1999 से प्रत्येक माह की पहली तारीख को 7.25 लाख रूपये प्रतिमाह की दर से पथकर की मासिक किश्त जमा की जानी थी। भुगतान न होने की स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर बकाया की वसूली ठेकेदार की प्रतिभूति से की जानी थी। अनुबन्ध को जुलाई तथा अगस्त 2000 तक बढ़ा दिया गया, यद्यपि जून 2000 के पथकर की वसूली विभाग द्वारा की गयी।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 2001) कि ठेकेदार द्वारा माह मई 2000 का देय 7.25 लाख रूपये का

पथकर जमा नहीं किया गया तथापि विभाग द्वारा ठेकेदार की प्रतिभूति से इसकी वसूली का कोई प्रयास नहीं किया गया, और इसके बावजूद ठेके की अवधि जुलाई एवं अगस्त 2000 तक बढ़ा दी गयी। ठेकेदार इन दो महीनों का देय 14.50 लाख रूपये जमा करने में भी असफल रहा। इस प्रकार ठेकेदार की 22 लाख रूपये की जमा प्रतिभूति से ठेकेदार से वसूली योग्य 21.75 लाख रूपये की जमा धनराशि वसूली जा सकती थी जिसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा जनवरी 2001 में गलत रूप से मुक्त कर दिया गया। इसके फलस्वरूप 21.75 लाख रूपये के राजस्व की क्षति हुई।

मामला, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2001 एवं फरवरी 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

9.3 लाइसेंस फीस की कम वसूली

दिनांक 7 नवम्बर 1998 के आदेश द्वारा शासन ने शासकीय आवासीय भवनों की लाइसेंस फीस की दरों में दिनांक 1 अगस्त, 1998 से वृद्धि कर दी।

प्रान्तीय खण्ड, एटा की लेखापरीक्षा (अगस्त 2001) के दौरान यह देखा गया कि अगस्त 1998 से जुलाई 2001 के मध्य 196 सरकारी आवासीय भवनों के अधिग्रहिताओं से पूर्व निर्धारित दरों से ही लाइसेंस फीस की वसूली की गयी जिसके परिणामस्वरूप 8.49 लाख रूपये लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

मामला, विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2001); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2002)।

(ख) सिंचाई विभाग

9.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के दौरान लेखापरीक्षा में सिंचाई विभाग के लेखों एवं सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच से 16 मामलों में 263.91 करोड़ रूपये की अनियमितताऐं प्रकाश में आयीं जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1-	अन्य अनियमितताऐं	15	7.17
2-	बृहत् सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्ति पर समीक्षा	1	256.74
	योग	**16**	**263.91**

वर्ष 2001–2002 के दौरान विभाग ने एक मामले में 5.44 करोड़ रूपये की वसूली की जिसे पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था।

'बृहत् सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियाँ' पर एक समीक्षा, जिसमें 70.75 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दी गयी है:

9.5 'बृहत् सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियों' पर समीक्षा

9.5.1 प्रस्तावना

सिंचाई प्राप्तियों के अन्तर्गत कृषि भूमि की सिंचाई हेतु दिये गये पानी का मूल्य, व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु दिये गये पानी का मूल्य, घास, मछली की बिक्री से प्राप्तियाँ तथा भूमि के पट्टों/नीलामी से प्राप्तियाँ इत्यादि सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश राज्य में सिंचाई, नहरों, तालाबों एवं नलकूपों से की जाती है, अन्य उद्देश्यों के लिए भी पानी की आपूर्ति की जाती है। कृषि हेतु दिये जाने वाले पानी के सम्बन्ध में 1994 में एवं अन्य कार्य हेतु 1998 में अन्तिम बार पानी की दरें पुनरीक्षित की गयी थीं।

कृषि कार्यों हेतु पानी के मूल्य का निर्धारण सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है जबकि सिंचाई विभाग द्वारा तैयार मांग पत्र (जमाबन्दी) के आधार पर राजस्व संग्रह का दायित्व राजस्व विभाग का है। सिंचाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए पानी के मूल्य का निर्धारण एवं उसकी वसूली का दायित्व सिंचाई विभाग का है।

9.5.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के शीर्ष अधिकारी हैं जिनकी सहायता के लिए 12 परिक्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता होते हैं। सिंचाई की सुविधाओं एवं पानी की दरों के निर्धारण पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु राज्य को 169 वृत्तों में विभाजित किया गया है जिसके प्रमुख अधीक्षण अभियन्ता हैं। वृत्तों को पुनः 351 प्रखण्डों में विभाजित किया गया है जिसके प्रमुख अधिशासी अभियन्ता (अ0अ0/खण्डीय अधिकारी) होते हैं। अधिशासी अभियन्ता की सहायता हेतु सहायक अभियन्ता (उप-खण्डीय अधिकारी) एवं अवर अभियन्ता होते हैं। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता के अधीन उप राजस्व अधिकारी पानी की आपूर्ति एवं राजस्व कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए होते हैं। राजस्व के संग्रह में उप राजस्व अधिकारी की सहायता हेतु जिलेदार, अमीन (सींच पर्यवेक्षक) एवं पतरौल (सींचपाल) होते हैं।

9.5.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

मई 2001 से अप्रैल 2002 की अवधि में 'बृहत् सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियों के सम्बन्ध में एक समीक्षा तैयार की गयी जिसमें सिंचाई विभाग की कुल प्राप्तियों का लगभग 31 प्रतिशत अंशदान देने वाली केवल बृहत् नहर परियोजनायें ही आच्छादित थीं। सभी आठ बड़ी परियोजनाओं*

* (1) गंगा नहर ऊपरी (2) गंगा नहर निचली (3) पूर्वी जमुना नहर (4) शारदा नहर (5) शारदा सहायक नहर (6) आगरा नहर (7) गंडक नहर एवं (8) बेतवा नहर।

(वाणिज्यिक), प्रमुख अभियन्ता, 6 परिक्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालयों एवं 46 प्रखण्डों के वर्ष 1996-97 से 2000-01 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी।

9.5.4 मुख्य अंश

- खेतिहरों एवं वाणिज्यिक संस्थानों से जल प्रभारों/रायल्टी की 242.08 करोड़ रूपये की धनराशि की वसूली नहीं की गयी।

 (प्रस्तर 9.5.7)

- वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए की गयी पानी की आपूर्ति पर 1.99 करोड़ रूपये के पानी के मूल्य/रायल्टी को कम लगाया/नहीं लगाया गया।

 (प्रस्तर 9.5.8)

- वाणिज्यिक कार्य हेतु दिये गये पानी में छीजन/रिसाव के परिणामस्वरूप 11.72 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई।

 (प्रस्तर 9.5.9)

- वर्ष 1999-2000 के दौरान 0.25 करोड़ रूपये के पानी के मूल्य का कम आरोपण किया गया

 (प्रस्तर 9.5.10)

- 8.11 लाख रूपये के पानी के मूल्य की छूट नियमित नहीं थी।

 (प्रस्तर 9.5.12)

- वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 की अवधि में परताल/परताल की जांच नहीं की गयी।

 (प्रस्तर 9.5.13)

- मत्स्य पालन के पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने के कारण शासन को 10.17 लाख रूपये के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

 (प्रस्तर 9.5.16)

9.5.5 वार्षिक बजट बनाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाना

सिंचाई विभाग की आदेश पुस्तिका (मैनुअल) के प्रस्तर 216 के अनुसार प्रत्येक प्रखण्डीय अधिकारी द्वारा सिंचाई जल दरों एवं प्रकीर्ण मदों से प्राप्त होने वाले राजस्व का प्राक्कलन तैयार करना

चाहिये। यह वार्षिक प्राक्कलन रबी एवं खरीफ फसलों के लिए अलग-अलग, सिंचाई विभाग को प्रत्येक वर्ष 15 नवम्बर तक प्रस्तुत किया जाना होता है। यही वार्षिक बजट, विभाग के वार्षिक अनुमानित राजस्व का आधार होता है जिसे बजट में प्रदर्शित कर विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है।

46 प्रखण्डों की नमूना जांच में यह पाया गया कि समीक्षा अवधि में किसी भी प्रखण्ड द्वारा राजस्व हेतु प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये थे। प्राक्कलनों के अभाव में विधायिका को प्रस्तुत, विभाग के अनुमानों की शुद्धता/विश्वसनीयता सत्यापित नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, समस्त प्रखण्डों द्वारा बताया गया कि ऐसे प्राक्कलन तैयार करने की प्रथा नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि मैनुअल के अनुसार प्रत्येक प्रखण्ड द्वारा राजस्व के प्राक्कलन तैयार किये जाने चाहिये।

9.5.6 राजस्व का रुझान

विगत पांच वर्षों (1996-97 से 2000-2001) में बृहत् सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई विभाग की वास्तविक प्राप्तियाँ एवं बजट अनुमानों का विवरण निम्न प्रकार था:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियॉ	अन्तर (+) बृद्धि (–) कमी	प्रतिशत
1996-97	81.11	77.75	(–) 3.36	(–)4
1997-98	87.20	30.18	(–)57.02	(–)66
1998-99	89.77	12.26	(–)77.51	(–)86
1999-00	145.67	3.68	(–)141.99	(–)97
2000-01	177.76	210.15	(+)32.39	(+)18

स्पष्ट है कि वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के बीच बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में 66 से 97 प्रतिशत की कमी रही जबकि 2000-2001 में इसमें 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

यद्यपि, वास्तविक प्राप्तियों में असाधारण कमी एवं वृद्धि के कारण राज्य सरकार से पूछे गये, किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

9.5.7 बकाये की स्थिति

(क) राजस्व विभाग द्वारा वसूल न की गई धनराशि

सिंचाई मैनुअल के प्रस्तर 320(i) के अनुसार, सिंचाई विभाग के प्रखण्डीय अधिकारी द्वारा निर्धारित पानी के मूल्य की वसूली जिलाधिकारी द्वारा भू–राजस्व के बकाये की भाँति की जायेगी। राजस्व विभाग एवं प्रशासन विभाग का यह दायित्व है कि वह यह देखे कि संग्रहीत बकाये नियमित रूप से कोषागार में जमा किये जा रहे हैं तथा विभागीय लेखाओं में उनकी प्रविष्टि की जा रही है।

45 प्रखण्डों की नमूना जांच में यह देखा गया कि राजस्व विभाग द्वारा वसूली के विवरण (कटौती स्टेटमेण्ट) नियमित रूप से प्रखण्डों को नहीं भेजे गये जिसके फलस्वरूप 31 मार्च 2001 की सिंचाई विभाग के लेखों में पानी के मूल्य का 174.55 करोड़ रूपया बकाया प्रदर्शित किया गया जो कि सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग के बीच समन्वय के अभाव को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अनुसार विभाग द्वारा राशि भू–राजस्व के बकाये की भॉति वसूली हेतु कोई कार्यवाई नहीं की गयी।

(ख) अन्य राज्यों के राजस्व विभाग पर बकाया धनराशि

अन्य राज्यों के राजस्व विभागों से वसूल न की गयी धनराशि, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा राज्यों के राजस्व विभागों को उनके राज्य के किसानों को दिये गये पानी के मूल्य हेतु क्रमशः 1.61 करोड़ रूपया तथा 9.47 करोड़ रूपये की मांग भेजी गयी किन्तु दिनांक 31 मार्च 2001 तक उक्त राशि बकाया थी। इन मामलों में न तो इन राज्य सरकारों से ही कोई सम्पर्क किया गया और न ही इन राज्यों के किसानों से इसे, भू–राजस्व की भाँति वसूलने हेतु कोई कार्यवाही की गयी।

(ग) वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु पानी का उपयोग करने वाली उपभोक्ता इकाइयों पर पानी के मूल्य/रायल्टी का बकाया

वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु बड़ी, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से दिये गये पानी, जिसका मूल्य 214.00 करोड़ रूपये था, दिनांक 31 दिसम्बर 2000 को उक्त धनराशि बकाया थी। वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं थे।

बृहत् सिंचाई के 11 प्रखण्डों की नमूना जांच में यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि 14 इकाइयों के

विरुद्ध दिनांक 31 मार्च 2001 को पानी के मूल्य/रायल्टी का 56.10 करोड़ रूपया बकाया था जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(करोड़ रूपये में)

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	उपभोक्ता इकाई	जिस वर्ष से पानी की आपूर्ति प्रारम्भ हुयी	बकाया धनराशि
1.	गंगा नहर, अलीगढ़ प्रखण्ड, अलीगढ़	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, हरदुआगंज	अप्रैल, 1962	**18.57**
2.	गंगा नहर, मेरठ प्रखण्ड, मेरठ	दिल्ली नगर निगम	———	**20.64**
3.	गंगा नहर, मुजफ्फरनगर प्रखण्ड, मुजफ्फरनगर	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, मुजफ्फरनगर	अप्रैल, 1973	**5.16**
4.	निचली गंगा नहर, कानपुर प्रखण्ड, कानपुर	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, पनकी	सितम्बर, 1967	**0.68**
5.	———तदैव———	आर्डनैंस गन फैक्टरी, कानपुर	जून, 1991	**0.86**
6.	शारदा नहर, द्वितीय प्रखण्ड, लखनऊ	जल संस्थान, लखनऊ	अप्रैल, 1998	**0.22**
7.	आगरा नहर, निचला प्रखण्ड	मथुरा रिफाइनरी	———	**0.24**
8.	आगरा नहर, हैडवर्क्स प्रखण्ड, ओखला	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, बदरपुर	———	**5.56**
9.	बेतवा नहर, झांसी प्रखण्ड, झांसी	जल संस्थान, झांसी	———	**1.92**
10.	———तदैव———	रेलवे	———	**0.26**
11.	माताटीला बांध प्रखण्ड, झांसी	जल संस्थान, तालबेहट	मार्च, 1963	**0.10**
12.	राजघाट निर्माण प्रखण्ड, ललितपुर	रेलवे	———	**0.12**
13.	———तदैव———	जल संस्थान, ललितपुर	———	**0.07**
14.	निचली गंगा नहर, नरोरा प्रखण्ड, अलीगढ़	जल संस्थान, अलीगढ़	———	**1.70**
योग				**56.10**

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अनुसार बकाया धनराशि की भू-राजस्व के बकाए की भाँति वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(घ) उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 से धनराशि की वसूली न किया जाना

दिनांक 12 अगस्त 1983 के राज्य शासनादेश के अनुसार बड़े तालाबों तथा जलाशयों से मछली मारने के अधिकारों की नीलामी का अधिकार सिंचाई विभाग से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड को इस शर्त के साथ हस्तान्तरित कर दिया गया कि नीलामी से प्राप्त धनराशि का एक–तिहाई भाग सिंचाई विभाग को रायल्टी के रूप में तालाबों एवं जलाशयों के रख–रखाव हेतु दिया जायेगा। विलम्बित भुगतान की दशा में 14 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देय था।

4 प्रखण्डों की नमूना जांच में यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड से वर्ष 2000–2001 तक अवधि की ब्याज सहित 35.33 लाख रूपये की रायल्टी वसूल नहीं की गयी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि–सुधार अधिनियम, 1950 के अनुसार धनराशि की भू–राजस्व के बकाए की भाँति वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

9.5.8 वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति पर पानी के मूल्य/रायल्टी का न लगाया जाना/कम लगाया जाना

वाणिज्यिक प्रयोग के लिए दिये गये पानी के मूल्य/रायल्टी का निर्धारण एवं वसूली सिंचाई प्रखण्डों द्वारा, निर्धारित दरों पर की जाती है। इस प्रयोजन हेतु एक अनुबन्ध का निष्पादन एवं प्रत्येक दस वर्ष की अवधि के पश्चात उसका नवीनीकरण अपेक्षित हैं। अप्रैल 1985 से कृषि से इतर उद्देश्यों के लिए दिये गये पानी का मूल्य/रायल्टी की आरोपणीय दर 50,000 रूपये प्रति क्यूसेक प्रतिवर्ष थी जिसे मई 1998 से बढ़ाकर 1.50 लाख रूपया प्रति क्यूसेक प्रतिवर्ष कर दिया गया।

(क) 4 प्रखण्डों की नमूना जांच में यह देखा गया कि अप्रैल 1985 से मार्च 2001 तक की अवधि में 1.99 करोड़ रूपये, पानी का मूल्य/रायल्टी का या तो आरोपण नहीं हुआ अथवा कम हुआ। जिसके फलस्वरूप शासन को निम्न विवरणनुसार राजस्व से वंचित होना पड़ा:

(लाख रूपये में)

1.	सिंचाई प्रखण्ड, महोबा	रक्षा विभाग, नई दिल्ली	1995–96 से 2000–01	11.62	2.86	8.76
2.	सिंचाई प्रखण्ड, कर्बी	मध्य रेलवे	1998–99 से 2000–01	1.04	0.35	0.69
3.	बेतवा नहर झांसी प्रखण्ड, झांसी	पारीक्षा पावर हाउस	1985–86 से 2000–01	184.16	24.64	159.52
4.	सिंचाई विभाग, औरैया	भारतीय गैस प्राधिकरण	1999–2000 से 2000–01	30.00	------	30.00
			योग	**226.82**	**27.85**	**198.97**

इसे इंगित किये जाने पर यह बताया गया कि जल मूल्य/रायल्टी की उक्त धनराशि को आरोपित करके उसकी वसूली की जायेगी।

(ख) अनुबन्धों का निष्पादित न किया जाना

14 प्रखण्डों (प्रस्तर 9.5.7(ग)) की नमूना जांच में यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि उप प्रस्तर में संदर्भित (मथुरा तेल शोधक परियोजना को छोड़कर) किसी भी मामले में अनुबन्ध निष्पादित नहीं कराये गये थे। इस प्रकार 56.10 करोड़ रूपये धनराशि की वसूली नहीं की जा सकी।

9.5.9 वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दिये गये पानी की बर्बादी/रिसाव से राजस्व की हानि

अधिशाषी अभियन्ता, गंगा नहर, अलीगढ़ ने (मई 2001 के पत्र द्वारा) अधिशासी अभियन्ता जिला विद्युत रख–रखाव प्रखण्ड–तृतीय, काशिमपुर को सूचित किया कि थर्मल पावर हाउस, हरदुआगंज के कूलिंग पावर सिस्टम को पानी की आपूर्ति में रिसाव के कारण प्रतिवर्ष 200 क्यूसेक पानी की बर्बादी हो रही थी। किन्तु विभाग ने प्रयोग करने वाली इकाई के विरुद्ध इस हेतु कोई मांग सृजित नहीं की। अप्रैल 1995 से मार्च 2001 की अवधि में लगातार बर्बादी/रिसाव के कारण विभाग को 11.72 करोड़ रूपये के राजस्व की क्षति हुई।

9.5.10 पानी की दरों का कम आरोपण

सिंचाई की माँग तैयार करने का दायित्व सींचपाल (पतरौल) पर है। उत्तर प्रदेश शासन, पंचायत राज विभाग के अप्रैल 1999 के कार्यालयादेश द्वारा सींचपालों को ग्राम पंचायतों में स्थानान्तरित कर दिया गया। यह भी आदेश किया गया कि फसली वर्ष 1407 (1999–2000) की सिंचाई माँग, राजस्व विभाग के लेखपालों द्वारा सिंचाई विभाग के अमीनों एवं जिलेदारों की सहायता से तैयार की जायेगी लेकिन उसे लेखपालों द्वारा तैयार नहीं किया गया। तत्पश्चात्, राज्य सरकार ने दिनांक 4 जनवरी 2001 को यह आदेश निर्गत किया कि फसली वर्ष 1407 (1999–2000) के लिए जमाबन्दी, सिंचाई विभाग के सींच पर्यवेक्षक (अमीन) तथा उप राजस्व अधिकारी की सहायता से फसली वर्ष 1406 (1998–99) के निर्धारण के आधार पर, 10 प्रतिशत तक यथावश्यक अन्तर रखते हुए जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में तैयार की जानी चाहिये जिससे निर्धारित राजस्व, फसली वर्ष 1406 (1998–99) के राजस्व से कम न हो। दिनांक 26 जून 2001 के शासनादेश द्वारा सींचपालों को पुनः सिंचाई विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया।

4 प्रखण्डों की नमूना जांच में यह देखा गया कि फसली वर्ष 1407 (1999–2000) के लिए पानी का मूल्य 3.11 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया जबकि फसली वर्ष 1406 (1998–99) के लिए इसकी सृजित मांग 3.36 करोड़ रूपये थी। इसके परिणामस्वरूप 0.25 करोड़ रूपये के पानी के मूल्य का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर, यह बताया गया कि सींचपालों के ग्राम पंचायतों में स्थानान्तरण के

कारण मांग में कमी हुयी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 4 जनवरी 2001 के आदेश से उक्त मांग लेखपालों द्वारा अमीनों एवं उप राजस्व अधिकारी की सहायता से जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में तैयार की जानी थी।

9.5.11 पानी के अनधिकृत प्रयोग एवं बर्बादी पर दण्डात्मक प्रभारों का अनारोपण/कम आरोपण

उत्तर भारतीय नहर एवं जल निकास (उ0प्र0) द्वितीय संशोधन नियमावली 1993 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर नहर काटकर अथवा नहर के तल में बांध बनाकर अनधिकृत रूप से सिंचाई करता है तो दण्डस्वरूप पानी की दर, सामान्य दर की चार गुना बढ़ा दी जायेगी।

6 प्रखण्डों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि नहर काटकर अथवा तल में बांध बनाकर पानी के अनधिकृत प्रयोग के लिए सामान्य दरों के चार गुने की दर से वसूली नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप 23.90 लाख रूपये के राजस्व का कम आरोपण हुआ।

9.5.12 राजस्व की अनियमित छूट

सिंचाई मैनुअल के प्रस्तर 316 सपठित नहर नियमावली के नियम 17 एवं 28 में यह प्रावधान है कि प्रखण्डीय अधिकारी, किसी खेत की हानि के लिए, जो नहरों से पानी की आपूर्ति रुकने या विफल होने पर या अन्यथा किसी प्रकार की ऐसी आपदा जो टिड्डी, ओला, बाढ़, पाला, फफूँद से होने पर या सूखा काल में या किसी अन्य समय में हो, सामान्यतः आरोपणीय जल दरों में कमी कर सकता है बशर्ते यह हानि कृषक की ओर से की गई किसी लापरवाही के कारण न हो।

सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 1998 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि, 1998 की खरीफ फसल के दौरान 20 मई, 1998 से 5 जुलाई 1998 तक कृषि उद्देश्यों के लिए पानी के मूल्य से मुक्त जल की आपूर्ति की जाये। आदेश मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे क्योंकि छूट मैनुअल में उल्लिखित किसी भी परिस्थिति के अन्तर्गत नहीं थी।

दो प्रखण्डों की नमूना जांच में पाया गया कि 20 मई 1998 से 5 जुलाई 1998 की अवधि में 8.11 लाख जल मूल्य की छूट दी गयी जो कि अनियमित थी क्योंकि सिंचाई मैनुअल में उल्लिखित परिस्थितियों के अनुसार छूट के लिए कोई कारण विद्यमान नहीं थे।

9.5.13 सींच माप (पड़ताल) की जांच में निर्धारित मानकों का अनुपालन न किया जाना

सिंचाई प्रखण्ड के अमीन द्वारा पानी के मूल्य का निर्धारण सिंचित क्षेत्र की माप करके किया जाता है। माप की जांच विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सिंचाई मैनुअल के प्रस्तर 323(3) एवं परिशिष्ट (ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार की जाती है:

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पड़ताल का क्षेत्र (हेक्टेअर में)	
		रबी	खरीफ
1-	अधीक्षण अभियन्ता	81	61
2-	अधिशासी अभियन्ता	121	101
3-	सहायक अभियन्ता	283	202
4-	अवर अभियन्ता	111	101
5-	उप राजस्व अधिकारी	1000	1000
6-	जिलेदार	1200	1200

20 प्रखण्डों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि माप (पड़ताल) तथा माप की जांच, फसली वर्ष 1407 (1999–2000) एवं 1408 (2000–2001) के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं की गयी।

इसे इंगित किये जाने पर यह बताया गया कि दिनांक 12 अप्रैल 1999 के आदेशानुसार सींचपालों का स्थानान्तरण सिंचाई विभाग से ग्राम पंचायतों में कर दिये जाने के कारण कोई भी प्रारम्भिक माप दर्ज नहीं की गयी जिससे मांप की जाँच नहीं की गई। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि निर्धारित जांच में अधिकारियों/स्टाफ के असफल रहने के कारण जमाबन्दी में मांग की सत्यता सुनिश्चित नहीं थी तथा पानी के मूल्य के अपवंचन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

9.5.14 जमाबन्दी भेजने में विलम्ब

उत्तर प्रदेश संग्रहण नियमावली के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा राजस्व विभाग को जमाबन्दी भेजने की नियत तिथि खरीफ के लिए 15 अक्टूबर से 15 दिसम्बर एवं रबी के लिए 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य है।

15 प्रखण्डों की नमूना जांच से यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि 1996–97 से 2000–2001 की अवधि में रबी एवं खरीफ फसलों की जमाबंदियां राजस्व विभाग को निर्धारित समय के अन्दर तैयार करके नहीं भेजी गयी। विलम्बित अवधि 5 से 134 दिनों के मध्य थी।

9.5.15 शासकीय खाते में राजस्व का न जमा किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI के प्रस्तर 711 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार की विविध प्रकार की सभी प्राप्तियाँ जैसे लकड़ी/घास, मछली एवं निविदा शुल्क आदि की बिक्री की आमदनी की प्राप्तियाँ, तत्काल कोषागार में जमा की जायेगी।

तीन प्रखण्डों की नमूना जांच में देखा गया कि वर्ष 1996–97 से 2000–2001 की अवधि के दौरान

27.41 लाख रूपये की विविध प्राप्तियों को लेखा शीर्ष '0701–बृहत् एवं लघु सिंचाई' के अन्तर्गत जमा न करके लेखाशीर्ष '8343–सिविल डिपाजिट' के अन्तर्गत जमा किया गया।

9.5.16 मत्स्य पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने से हानि

सिंचाई विभाग अपने नियंत्रण में आने वाले जलाशयों को मछली मारने हेतु निविदा के द्वारा पट्टे पर देता है जिससे उसे राजस्व की प्राप्ति होती है। किन्तु शासन ने दिनांक 27 जनवरी 2000 के आदेश द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि नयी पारदर्शी नीति निर्धारित होने तक जलाशयों का पट्टा न दिया जाय। पुनः यह भी निर्देशित किया कि यदि पूर्व में ही जलाशय मछली मारने हेतु पट्टे पर उठे हुए हों तो पट्टों की समाप्ति पर नये पट्टों का निष्पादन न किया जाय।

तीन प्रखण्डों की नमूना जांच में यह देखा गया कि 31 मार्च 2001 तक कोई ऐसी नीति निर्धारित नहीं की गयी जिसके कारण जलाशयों के नये पट्टे निष्पादित नहीं किये जा सके। जलाशयों के नये पट्टों का निष्पादन न किये जाने के फलस्वरूप रायल्टी के रूप में 10.17 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

9.5.17 निष्कर्ष

यह देखा गया कि विभिन्न कारणों से उपभोक्ता एजेन्सियों एवं किसानों से काफी बड़ी धनराशि की वसूली नहीं की गयी जिसके कारण राज्य सरकार का राजस्व प्रभावित हुआ। कई वर्षों तक उपभोक्ता इकाईयों के साथ अनुबन्धों का निष्पादन नहीं किया गया। बकाया राशि की वसूली हेतु तथा उपभोक्ता एजेन्सियों के साथ अनुबन्धों के निष्पादन के लिये प्रयास किया जाना अपेक्षित है। सींचपालों के ग्राम पंचायत स्थानान्तरण की शासन की नीति ने भी किसानों को दिये गये पानी के मूल्य के निर्धारण एवं संग्रहण को प्रभावित किया।

मामला, विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002)।

(ग) वित्त विभाग

9.6 'शासकीय ऋणों पर ब्याज प्राप्ति' पर समीक्षा

9.6.1 परिचयात्मक

ब्याज प्राप्ति, राज्य सरकार के करेतर राजस्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, सहकारी समितियाँ एवं अन्य व्यक्तियों (इनके कर्मचारियों सहित) को दिये गये ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज सम्मिलित है। शासन द्वारा जारी ऋण स्वीकृति आदेशों में

ब्याज की दर, भुगतान की अवधि एवं ऋण देने के उद्देश्य का समावेश रहता है। ब्याज की दर, ऋण के प्रकार, उद्देश्य, ऋणी के वर्ग एवं पुनर्भुगतान की अनुसूची आदि के अनुसार, सामान्यतः 9 से 22 प्रतिशत के मध्य रहती है। मूलधन एवं ब्याज की समस्त किश्तों का प्रतिदान नियत तिथियों पर करने की दशा में ढाई से साढ़े तीन प्रतिशत तक ब्याज में छूट का प्रावधान है।

9.6.2 संगठनात्मक ढाँचा

ऋण एवं अग्रिमों के अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार कर संस्तुति के साथ प्रशासनिक विभाग को भेजे जाते हैं जो वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति आदेश जारी करता है। ऋण एवं उस पर ब्याज की वसूली की निगरानी, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (अनुश्रवण प्राधिकारी) द्वारा ऋण स्वीकृति आदेशों के नियम एवं शर्तों के अनुसार की जाती है तथा देय ब्याज एवं ऋण की स्थिति, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को आवधिक रूप से सूचित की जाती है।

9.6.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

ब्याज के आरोपण तथा संग्रहण में विभागों की दक्षता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से अप्रैल 2001 से अप्रैल 2002 तक एक समीक्षा की गयी। इस उद्देश्य से सहकारिता, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र, गन्ना एवं चीनी, आवास एवं स्थानीय निकाय (जैसे–नगर निगम, जल संस्थान एवं जिला परिषद् आदि) विभागों के वर्ष 1996–97 से 2000–2001 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

9.6.4 मुख्य अंश

- विभागाध्यक्षों, द्वारा उचित अनुश्रवण के अभाव में शासन द्वारा वर्ष 1996–97 से 2000–2001 की अवधि के लिए मूलधन 678.99 करोड़ रूपये एवं उस पर देय ब्याज 545.73 करोड़ रूपये की वसूली के लिए मांग जारी नहीं की गई।

 (प्रस्तर 9.6.6)

- त्रुटिपूर्ण स्वीकृति आदेश निर्गत करने के कारण 26.63 करोड़ रूपये ब्याज की क्षति।

 (प्रस्तर 9.6.7)

- ब्याज में 12.72 करोड़ रूपये की अनियमित छूट अनुमन्य की गई ।

 (प्रस्तर 9.6.8)

- ऋण को रोके रखकर बिना उपयोग के वापस किये जाने के फलस्वरूप 2.52 करोड़ रूपये ब्याज की हानि हुई।

 (प्रस्तर 9.6.9)

- गणना में त्रुटि के कारण 41.19 करोड़ रूपये ब्याज का कम भुगतान।

(प्रस्तर 9.6.10)

- ऋण को अंश पूंजी में परिवर्तित करने के शासनादेश के विरुद्ध अंश प्रमाणपत्र विलम्ब से जारी किए जाने के फलस्वरूप 87.78 करोड़ रूपये ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 9.6.11)

9.6.5 राजस्व का रुझान

वर्ष 1996–97 से 2000–2001 की अवधि के दौरान ब्याज प्राप्ति के अनुमानित संग्रह एवं वास्तविक प्राप्ति के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:–

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	अन्तर (+)वृद्धि (–)कमी	अन्तर का प्रतिशत
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1996–97	511.78	478.97	(–)32.81	(–)6.41
1997–98	429.41	484.34	(+)54.93	(+)12.79
1998–99	439.51	428.00	(–)11.51	(–)2.61
1999–2000	461.48	476.68	(+)15.20	(+)3.29
2000–01	437.97	525.17	(+)87.20	(+)19.91

वास्तविक प्राप्ति, वर्ष 1996–97 में 478.97 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2000–2001 में 525.17 करोड़ रूपये हो गयी ।

अनुमानित प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर के कारण पूछे गये (अप्रैल 2002), अनुवर्ती अनुस्मारक भेजे गये (नवम्बर 2002), लेकिन उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2002)।

9.6.6 अभिलेखों का रख–रखाव न किये जाने के कारण ब्याज की वसूली हेतु माँग सृजित न किया जाना

यह देखा गया कि, शासन के अनुश्रवण प्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर स्वीकृत ऋण की वसूली की निगरानी हेतु कोई अभिलेख नहीं रखे गये थे, जिसके फलस्वरूप स्वीकृत ऋणों की अतिदेय किश्तों एवं उस पर देय ब्याज विवरण शासन को सूचित नहीं किया गया।

यद्यपि 13 ऋणी इकाइयों के 1996–97 से 2000–2001 तक की अवधि के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि ऋणों पर अतिदेय किश्तों की धनराशि 678.99 करोड़ रूपये का पुनर्भुगतान नहीं किया गया था जिस पर निम्न विवरणानुसार 545.73 करोड़ रूपये ब्याज मार्च 2001 तक आरोपणीय था।

(करोड़ रूपये में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	पुनर्भुगतान हेतु देय ऋण	ब्याज
1.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर	18.99	16.73
2.	उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ	73.89	67.89
3.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ	388.28	344.00
4.	जल संस्थान, लखनऊ	1.61	1.17
5.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लि0, लखनऊ	7.50	6.39
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ	103.92	69.65
7.	उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर	0.71	0.67
8.	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, कानपुर	16.03	1.03
9.	जल संस्थान, कानपुर	0.28	0.44
10.	निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र, कानपुर	1.08	5.23
11.	भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, भदोही	--♣	0.11
12.	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	20.10	17.46
13.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम, लखनऊ	46.60	14.96
	योग	**678.99**	**545.73**

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन द्वारा बताया गया (मार्च 2002) कि, ऋणियों द्वारा अभिलेख रखे जाने चाहिये थे। उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि अनुश्रवण प्राधिकारियों द्वारा भी अभिलेख रखे जाना आवश्यक था।

♣ चूंकि यह आवर्ती निधि है अतः मूलधन देय नहीं है।

9.6.7 त्रुटिपूर्ण स्वीकृति के कारण ब्याज की हानि

(क) दो ऋणियों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उन्हें सितम्बर 1994 से मार्च 1996 के मध्य 10.42 करोड़ रूपये का ऋण प्रदान किया गया। एक प्रकरण में स्वीकृति आदेश में पुनर्भुगतान अनुसूची तथा दूसरे प्रकरण में ऋण तथा ब्याज के भुगतान के नियम तथा शर्तों का समावेश, स्वीकृति आदेश में नहीं किया गया। तद्नुसार ब्याज की माँग हेतु न तो गणना की जा सकी और न मांग ही सृजित की गयी। ब्याज की प्रचलित दर के आधार पर 20.42 करोड़ रूपये आरोपित किया जा सकता था।

(ख) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड V के प्रस्तर 225 के अनुसार ऋण पर ब्याज, आहरण की तिथि से प्रभार्य है। तीन ऋणियों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि इस प्रावधान के विरुद्ध, शासन ने अपने स्वीकृति आदेश में ऋणी को ऋण आहरण की तिथि के अगले माह की पहली तिथि से ब्याज देना मान लिया। इसके परिणामस्वरूप 6.21 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(करोड़ रूपये में)

क्र0 सं0	ऋणी का नाम	ऋण की धनराशि (ऋणों की सं0)	ऋण आहरण की तिथि	ब्याज न लिये जाने के दिनों की सं0	निहित ब्याज की राशि
1.	उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ	212 (8)	11/1999 एवं 3/2001 के मध्य	7 से 31 दिन	0.98
2.	उ0प्र0 विद्युत निगम लि0, लखनऊ	702 (5)	1/2000 एवं 10/2000	14 से 22 दिन	4.89
3.	जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ	35 (2)	1/2000 एवं 8/2000	12 से 22 दिन	0.34
	योग	**949(15)**			**6.21**

9.6.8. ब्याज की अनियमित छूट का लिया जाना

स्वीकृति आदेशों के नियम एवं शर्तों के अनुसार ब्याज की सामान्य दर में 2.5 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है बशर्ते ऋण के प्रतिदाय और ब्याज का भुगतान निर्धारित तिथि पर किया जाय। 225 प्रकरणों के ऋण खाता बहियों की नमूना जांच में पाया गया कि 4 ऋणियों द्वारा ऋण प्रतिदाय एवं ब्याज के भुगतान की देय तिथि का अनुपालन नहीं किया गया फिर भी उन्हें ब्याज में छूट का लाभ दिया गया। जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 2001 की अवधि में 12.72 करोड़ रूपये की अनियमित छूट का लाभ निम्न विवरणानुसार लिया गया:

(करोड़ रूपये में)

क्र0 सं0	ऋणी का नाम	ऋणों की सं0	ऋण की धनराशि ब्याज की दर (प्रतिशत)	अवधि	ब्याज पर छूट की धनराशि
1.	निबंधक सहकारी समितियां, लखनऊ	26	748.91 3.5	1996–97 से 2000–2001	6.10
2.	उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	2	3.77 2.5/3.5	1996–97 से 2000–2001	0.22
3.	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	53	18.97 3.5	1996–2001 96–97 से पूर्व (82–83 से)	0.80 4.24
4.	आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा	144	3.69 3.5	1969–70 (96–97 से पूर्व)	1.36
	योग	225			12.72

9.6.9 अप्रयुक्त ऋणों पर ब्याज का न लगाया जाना

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर को एक आवास योजना के अन्तर्गत, विकास कार्यों के लिए 6.69 करोड़ रूपये का ऋण 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकृत किया गया जिसे 31 मार्च 1996 का आहरित कर व्यक्तिगत खाता लेखा में रखा गया। भूमि अध्याप्ति अधिकारी को यह धनराशि 4 अगस्त, 1998 को भू–अधिग्रहण हेतु अवमुक्त कर दी गयी लेकिन विवाद के कारण अधिग्रहण नहीं किया जा सका। धनराशि शासन को 6 सितम्बर, 2000 को अभ्यर्पित कर दी गयी। धनराशि के अप्रयुक्त पड़े रहने की अवधि 4 अगस्त 1998 से 5 सितम्बर 2000 तक के लिये ब्याज आरोपित नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 2.52 करोड़ रूपये ब्याज की हानि हुई।

9.6.10 त्रुटिपूर्ण गणना के कारण ब्याज का कम वसूल किया जाना

नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण गणना के कारण

41.19 करोड़ रूपये ब्याज कम जमा किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

(करोड़ रूपये में)

क्र0 सं0	ऋणी का नाम	ऋण की धनराशि (ऋणों की संख्या)	ब्याज की अवधि	ब्याज की दर प्रतिशत	आरोपणीय ब्याज	आरोपित ब्याज	कम जमा ब्याज
1.	निबन्धक सहकारी समितियां, लखनऊ	1.00 (1) 748.91(26)	17.9.98 से 8.4.99 तक 1995 से 2001 तक	18.5 9.5 से 17	0.10 46.26	0.08 34.96	0.02 11.30
2.	उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ	8.77 (3)	1996, 1998 से 2001	13 एवं 14.5	2.50	2.13	0.37
3.	उ0प्र0 चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ	145.71 (24)	1995–96 से 2000–01	14.50 से 20.25	81.56	67.90	13.66
4.	कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर	110.49 (215)	1990–91 से 2000–01	4.5 से 22	52.93	37.09	15.84
	योग:–				**183.35**	**142.16**	**41.19**

9.6.11. ऋण के अंशपूंजी/अनुदान में परिवर्तन के दौरान ब्याज की क्षति

ऋणों के स्वीकृति आदेशों में, ऋण को अंशपूंजी/अनुदान में परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। फिर भी शासन ने राज्य निगम/स्थानीय निकायों को स्वीकृत ऋण के साथ–साथ उस पर देय ब्याज को अंशपूजी/अनुदान में परिवर्तित कर दिया। अपर्याप्त अधिकृत अंशपूंजी होने के कारण निगम, निर्धारित तिथि को अंश प्रमाणपत्र निर्गत करने से विफल रहे तथा कुछ मामलों में अभी भी निर्गत किये जाने हैं। अंशपूंजी में परिवर्तन के आदेश तथा 31 मार्च 2001 को जारी अंश प्रमाणपत्र के मध्य की अवधि तक देय ब्याज का आरोपण नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 87.78 करोड़ रूपये ब्याज की हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

(करोड़ रूपये में)

क्र0 सं0	ऋणी का नाम	ऋणों के अंश पूंजी में परिवर्तन का विवरण				(ब–अ)अवधि के दौरान अथवा 31–3–2001 तक ब्याज की क्षति	
		मूलधन	*ब्याज*	*अंश पूंजी में परिवर्तन की तिथि (अ)*	*अंश जारी किया गया (ब)*	*ब्याज की दर प्रतिशत*	*धनराशि*
1.	प्रदेशीय औद्योगिक निगम, उत्तर प्रदेश लखनऊ	33.53–	––	31–7–2000	अभी तक निर्गत नहीं किये गये	13.5 से 17.5	13.00

(करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	ऋणी का नाम	ऋणों के अंश पूंजी में परिवर्तन का विवरण				(ब–अ)अवधि के दौरान अथवा 31–3–2001 तक ब्याज की क्षति	
		मूलधन	ब्याज	अंश पूंजी में परिवर्तन की तिथि (अ)	अंश जारी किया गया (ब)	ब्याज की दर प्रतिशत	धनराशि
2.	उत्तर प्रदेश, राज्य सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ, चीनी मिलें:–	8.55	6.41	1.4.97	18.12.2000	15.5	4.92
	(1)तिलहर	1.67	3/93 तक	1.4.93	अभी तक निर्गत नहीं किये गये	19.5 से	2.87 1.26
	(2)नानपारा	1.87	उपार्जित		14.8.96	21	1.51
	(3)मोरना	0.90	तदैव तदैव	तदैव तदैव	अभी तक निर्गत नहीं किये गये	तदैव तदैव	
3.	यूपिका, कानपुर	0.41	––	1.1.97	27.7.99	9.5	0.09
4.	उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ, कानपुर	(i)30.17	13.26	1.4.97	अभी तक निर्गत नहीं किये गये	22	26.55
		(ii)36.20	3.95	1.4.98	–तदैव–	–तदैव–	23.89
5.	निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ (अनुदान)	31.3.97 तक देय ऋण 11.25	31.3.97 तक उपार्जित 829.77	1.4.97	अनुदान में परिवर्तन सम्बन्धी शासनादेश अभी तक निर्गत नहीं किया गया	12 से 15.5	7.19
6.	उ0 प्र0 वित्त निगम, कानपुर	41.25	––	19.7.2000	अभी तक निर्गत नहीं किये गये	7.5	2.16
7.	उ0 प्र0 पर्यटन विकास निगम, लखनऊ	5.60	––	1.4.93	21.4.98	5.5	4.34
						योग	**87.78**

9.6.12 अनुश्रवण प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों का न रखा जाना

विभागाध्यक्षों द्वारा, स्वीकृत ऋणों का विस्तृत लेखा रखा जाना तथा ऋण एवं उस पर अर्जित ब्याज की वसूली पर निगरानी रखना अपेक्षित है। देय तिथि पर ऋण एवं ब्याज के भुगतान से किसी भी विचलन को शासन को सूचित किया जाना चाहिये।

नमूना जांच में यह पाया गया कि, आयुक्तों, गन्ना एवं चीनी, उ0 प्र0 तथा निदेशकों, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र, उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा अभिलेखों के रख–रखाव हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2001 तथा जुलाई 2001) आयुक्त गन्ना एवं चीनी उत्तर प्रदेश द्वारा बताया गया कि अभिलेखों के रख–रखाव हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे जबकि निदेशक, उद्योग ने बताया (नवम्बर 2001) कि स्वीकृति आदेशों में ऐसे कोई निर्देश न होने के कारण अभिलेख रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विभागों के उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि अभिलेखों के रख–रखाव के बिना ऋण के पुनर्भुगतान एवं ब्याज की वसूली की उचित निगरानी किया जाना सम्भव नहीं है।

9.6.13 सारांश

विभागाध्यक्षों (अनुश्रवण प्रतिनिधियों) द्वारा वांछित अभिलेखों का रख–रखाव न करने एवं अनुश्रवण की कमी के कारण बहुत से मामलों में मूलधन के प्रतिदाय एवं उस पर अर्जित ब्याज की वसूली हेतु मांग सृजित नहीं की गयीं। त्रुटिपूर्ण ऋण स्वीकृति आदेशों के कारण भी शासन को ब्याज की हानि हुई।

ऋण के प्रतिदाय एवं उस पर अर्जित ब्याज की वसूली के उचित प्रबन्धन हेतु यह सुझाव है कि स्वीकृति आदेशों में पुनर्भुगतान हेतु सभी आवश्यक शर्तों का समावेश हो। त्वरित मांग जारी करने एवं प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के लिए ऋण अभिलेखों के रख–रखाव की आवश्यकता पर बल दिया जाये।

विभागाध्यक्षों के माध्यम द्वारा प्रत्येक ऋणी इकाई से ऋण की स्थिति से सम्बन्धित मासिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। यह विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करेगा।

पूर्ववर्ती बिन्दुओं को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2002)। कुछ मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(बीरेन्द्र कुमार)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–द्वितीय,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ

दिनांक 12 अप्रैल 2004

प्रति हस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 28 अप्रैल 2004

अनुलग्नक–'क' (प्रस्तर 3.2)

प्रस्तर 3.2 शीरे से अल्कोहल का न्यूनतम निर्धारित मात्रा से कम उत्पादन

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	आसवनी का नाम	नमूनों की संख्या	अवधि	प्रयुक्त शीरे की मात्रा (क्विंटल में)	लेबोरेटरी रिपोर्ट के अनुसार अल्कोहल का उत्पादन (ए0एल0में)	एल्कोहल का वास्तविक उत्पादन (ए0एल0में)	एल्कोहल के उत्पादन में कमी (ए0एल0में)	आबकारी शुल्क की दर प्रति ए0 एल0	आबकारी शुल्क की हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मै0 वैम आर्गैनिक कैमिकल लिमिटेड,गजरौला	12	1998–99 1999–2000	709189 241297	6129925.2 6402754.5	5089243.9 4973778.8	1040681.3 1428975.7	रू0 40 रू0 48	416.27 685.91
2.	घोसी डिस्टिलरी इकाई, घोसी (मऊ)	2	फरवरी एवं मार्च, 2000	7923.55	415986.37	379408.9	36577.47	रू0 48	17.56
3.	नानपारा आसवनी, बहराइच	1	जनवरी, 1998	5124	107677.50	99732.0	7945.50	रू0 40	3.18
4.	पिलखनी आसवनी, सहारनपुर	12	नवम्बर, अप्रैल एवं मई, 2000	40064	822237.6	800808.7	21428.9	रू0 48	10.29
5.	धामपुर आसवनी, धामपुर	6	जुलाई 2000 से दिसम्बर 2000	137525	2606224.3	2481830.8	124393.5	रू0 48	59.71
6.	कप्तानगंज आसवनी, कुशीनगर	4	मार्च तथा सितम्बर 2000	63507	1359246.52	1214188.4	145058.12	रू0 48	69.63
7.	मै0 बजाज हिन्दुस्तान चीनी मिल्स लिमिटेड आसवनी, गोला	4	दिसम्बर, 1999	33667	707603.0	647934.3	59668.7	रू0 48	28.64
8.	मै0 अपर गंगेज सुगर मिल्स लिमिटेड आसवनी, स्यौंहारा	7	जुलाई 2000 से अक्टूबर 2000	81717	1551937.5	1458164.8	93772.7	रू0 48	45.01
9.	मै0 के0 एम0 सुगर मिल्स लिमिटेड आसवनी, मसोधा (फैजाबाद)	5	अप्रैल 2000 से अगस्त 2000	64800	1339273.45	1138617.2	200656.25	रू0 48	96.31
10.	सर सादीलाल आसवनी, मंसूरपुर	4	जुलाई 2000 से अक्टूबर 2000	34974	687819.8	664208.8	23611.0	रू0 48	11.33
11.	मै0 नारंग इन्डस्ट्रीज आसवनी, गौंडा	21	2000–2001 2001–2002	96496	1838430.3	1731873.1	106557.2	रू0 48	51.15
12.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड आसवनी, कायमगंज, फर्रुखाबाद	8	फरवरी, 2000 से जून 2000	75167	1539379.50	1231743.6	307635.9	रू0 48	147.66
13.	मै0 नेशनल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड राजा का सहसपुर, मुरादाबाद	10	मई 2000 से दिसम्बर 2000	145361	2800674.80	2655909.6	144765.2	रू0 48	69.49
योगः–		**96**			**28309170.34**	**24567442.20**	**3741728.14**		**1712.14**

शुद्धि–पत्र

पृष्ठ सं0	प्रस्तर सं0	पंक्ति सं0 आदि	के स्थान पर	पढ़ें
1	1.1 (i)	द्वितीय	अगले पृष्ठ पर	नीचे
2	1.1 (ii)	सारिणी	–	.
3	1.2	सारिणी	–	.
5	1.3	राज्य आबकारी 2001–2002 कालम, 4 कालम, 5	 11.27 0.6	 24.67 1.3
4 एवं 5	1.3	सकल संग्रह 2001–2002	फुट नोट	जैसा विभाग द्वारा सूचित किया गया
5	1.4 (क)	सारिणी के नीचे प्रथम पंक्ति	से	,
		तदैव	अनुवर्ती	पूर्ववर्ती
21	2.3 (क)	सारिणी क्र0सं01 कालम, 5 कालम, 7	 13.512.01 13.881.66	 13512.01 13881.66
39	4.1	सारिणी धनराशि	–	.
47	6.1	शीर्षक	लेखापरीक्षा परीक्षा	लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सर्वाधिकार सुरक्षित
2003

मूल्य : रु. 65 डालर 5

http://cagindia.org/states/uttarpradesh/2002

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ में मुद्रित
33, नेहरू रोड, सदर कैन्ट, लखनऊ – 226 002
फोन : 2481164, 2483354